अध्याय II: रक्षा मंत्रालय

2.1 छावनी बोर्डों की कार्यप्रणाली

2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान नमूना जाँच की गई 17 छावनी बोर्डों में से छावनी बोर्ड क्लेमेंट टाउन को छोड़कर किसी ने भी टाउन प्लानिग स्कीमों, आर्थिक विकास तथा समाजिक न्याय की योजनाओं को संबंधित क्षेत्रों मे न तो बनाया न ही कार्यान्वित किया। इसके अतिरिक्त न ही किसी भी छावनी बोर्ड ने, छावनी अधिनियम में उल्लेखित 24 प्रकार की सुविधाओं को, अपने नागरिकों को प्रदान किया। गरीबों के उन्नयन के लिए केंद्र सरकार की योजनाएँ, जो छावनी बोर्डों के लिए भी उपयुक्त थीं लागू नहीं किया गया तथा जिन आधारभूत सुविधाओं के प्रावधानों को, छावनी में कार्यान्वित करना था। राजस्व उत्पत्ति संबंधी स्थिति भी प्रोत्साहनीय नहीं थी क्योंकि, छावनी बोर्ड करों तथा बिना कर के जरिए राजस्व उत्पत्ति की वृद्धि में असमर्थ थीं जिसकी वजह से उनकी निर्भरता रक्षा मंत्रालय द्वारा दी जाने वाले सहायक अनुदान की ओर बढ़ती गई। यह मुख्यतः हर पाँच वर्षों में करों के असंशोधन, निर्धारित दरों से कम पर संपत्ति करों की वसूली तथा वाहन प्रवेश कर न लेने इत्यादि के कारणों से हुआ ।

2.1.1 प्रस्तावना

2.1.1.1 छावनी तथा छावनी बोर्ड

भारत में छावनी स्थायी मिलिटरी स्टेशन हैं जहाँ पर फौज नियमित रूप से रखी जाती है। भारतीय संविधान के तहत छावनी क्षेत्र केंद्रीय प्रदेश हैं,जिस कारणवश, इन क्षेत्रों में कार्यरत नागरिक निकाय, राज्य नगर-निगम कानूनों के अधीन आवरित नहीं हैं। इसीलिए छावनियों के प्रशासन संबंधी प्रावधानों के लिए छावनी अधिनियम, 1924 बनाया गया जिसे, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) (अधिनियम) के द्वारा संशोधित किया गया है। किसी क्षेत्र को छावनी घोषित करने के उपरान्त, केंद्र सरकार एक वर्ष के भीतर उस छावनी के लिए एक बोर्ड गठित करती है जिसे छावनी बोर्ड (सी बी) कहा जाता है।

देश में 62 अधिसूचित छावनी बोर्ड हैं जो 19 राज्यों में स्थित हैं तथा पाँच सेना कमानों के बीच बाँटी गई हैं। जनसंख्या के आधार पर छावनी बोर्ड को चार वर्गों[9] में वर्गीकृत किया गया है।

2.1.1.2 संगठनीय सरंचना

प्रत्येक छावनी बोर्ड का प्रधान एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मु.क.अ.) होता है, जो छावनी के प्रशासकीय कार्यों के निष्पादन के साथ- साथ, बोर्ड के सदस्य- सचिव के रूप में भी कार्य करता है। वह सेना के प्रत्येक कमान मुख्यालय में तैनात प्रधान निदेशक रक्षा सम्पदा के माध्यम से महानिदेशक रक्षा सम्पदा (म.नि.र.सं.) नई दिल्ली को रिपोर्ट करता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सेना से स्वतंत्र होता है तथा वह असैनिक जनसंख्या का असैनिक कार्यकारी इंटरफेस है ।

छावनी बोर्ड की लेखापरीक्षा, नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक (सेवा की डयूटी, अधिकार तथा शर्तें) अधिनियम, 1971 (सी ए जी का डी पी सी एक्ट 1971) के खण्ड संख्या 14 (1) तथा (2) के अधीन की जाती है।

इस उद्देश्य से कि क्या छावनी बोर्ड अपने निवासियों को सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम थी और क्या वित्तीय प्रबंधन एवं संपत्तियों की व्यवस्था कायम थीं, पांच प्रधान निदेशकों एवं महानिदेशक कार्यालयों सहित 17 छावनी बोर्डों[10] के वर्ष 2009-10 से 2013-14 अवधि तक के दस्तावेजों की नमूना जाँच की गई।

रक्षा मंत्रालय को ड्राफ्ट प्रतिवेदन जून 2015 को जारी किया गया। मंत्रालय से अभी तक जवाब प्राप्त (अगस्त 2015) नहीं हुआ है ।

2.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

छावनी बोर्डों का मुख्य कार्य मोटे तौर पर वैसा ही है जैसा कि नगरपालिका निगमों का होता है। छावनी अधिनियम 2006 के खण्ड 62 के अनुसार, प्रत्येक बोर्ड (छावनी बोर्ड) का यह कर्तव्य है कि, वो उसको दी गई निधि के अंतर्गत 24 प्रकारों की सेवाओं जिनका विवरण **अनुलग्नक II** में दिया गया है,का छावनी क्षेत्र में प्रावधान करें।

---

[9]वर्ग । जिसमें 50000 से अधिक जनसंख्या है ,वर्ग-II जिसमें जनसंख्या 10000 तथा 50,000 के बीच क्रमबंद्ध ,वर्ग-III जिसमें 2500 तथा 10000 के बीच जनसंख्या तथा वर्ग-IV जिसमें जनसंख्या 2500 से कम।

[10]वर्ग-I मेरठ (सीसी) लखनऊ (सीसी) देहरादून (सीसी), रामगढ़ (सीसी)वर्ग-II - अहमदनगर (दक), बरँकपूर (पूक), विलिंग्टन (दक), रानीखेत (सीसी), दानापूर (सीसी), शिलांग(पूक), क्लेमेंट टाऊन (सीसी) खास्योल (उक)*****, पचमढ़ी(सीसी),वर्ग-III- लैंण्ड्सडोन (सीसी) चक्राता (सीसी),वर्ग-IV- डलहौजी (प.क.), जबलपुर (पूक)

*सितम्बर/अक्तूबर 2014 के दौरान जम्मू एंव कश्मीर राज्य में बाढ़ की वजह से छावनी बोर्ड बदामीबाग की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी। इसके बजाय छावनी बोर्ड खास्योल का लेखापरीक्षा के लिए चयन किया गया।

2.1.2.1 आयोजना

छावनी अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार यह जरूरी था कि, छावनी बोर्ड अपने-अपने क्षेत्रों में टाऊन प्लानिंग स्कीमों तथा आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए परियोजनाओं को तैयार करें तथा उन्हें लागू करने की व्यवस्था करें। छावनी बोर्ड के लिए यह भी जरूरी था कि, वो 15 वर्षों में कार्यान्वित विकास परियोजनाओं को तैयार करें तथा उनको लागू करने के लिए पंचवार्षिक विकास परियोजना को भी तैयार करें।

इसके अतिरिक्त महानिदेशक रक्षा सम्पदा ने छावनी बोर्डों को छावनियों की नागरिक आधारभूत संरचना में सुधार तथा निवासियों को उच्च कोटि की सेवाएँ प्रदान करने के प्रस्तावों को सूत्रबद्ध तथा लागू करने के लिए अनुदेश जारी किए (मई 2011)। यदि निधि का अभाव हो, तो महानिदेशक ने छावनी बोर्डों को निर्देश जारी किए कि वे विशेष सहायता अनुदान की संस्वीकृति के प्रस्ताव भेजे।

हमने पाया कि, छावनी बोर्ड क्लेमेंट टाऊन के अलावा नमूना जाँच की गई अन्य किसी भी छावनी बोर्ड ने अधिनियम प्रावधानों व निर्देशों के अनुसार कोई योजना तैयार नहीं की।

2.1.2.2 छावनी बोर्डों द्वारा आदेशात्मक कर्तव्यों का निष्पादन नहीं करना

अधिनियम में आदेशात्मक कर्तव्यों के निष्पादन के संबंध में,लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह उजागर किया, कि नमूना जाँच की गई 17 छावनी बोर्डों में से किसी ने भी अधिनियम में लिखे गए सभी 24 कर्तव्यों को पूरा नहीं किया। छावनी बोर्डों द्वारा कर्तव्यों को निभाने की क्रमबद्ध संख्या तीन (छावनी बोर्ड रानीखेत, मध्य कमान) तथा 22 (छावनी बोर्डक्लेमेंट टाऊन, मध्य कमान) के बीच थी।

लेखापरीक्षा के सवाल के जवाब में छावनी बोर्ड ने कहा कि,कर्तव्यों को न निभाने का मुख्य कारण था कर्मचारियों या निधियों की अनुपलब्धता।

निम्नलिखित कारणों की वजह से यह जवाब अस्वीकार हैः

- छावनी बोर्डों में कर्मचारियों की प्राधिकृत जनशक्ति व पदस्थापित जनशक्ति में अत्यधिक कमी नहीं पायी गई। नमूना जाँच की गई छावनी बोर्डों की पदस्थापित जनशक्ति तुलना में, प्राधिकृत नफ़री की क्रमबद्धता 59 प्रतिशत छावनी बोर्ड बैरकपुर (वर्ग- II), तथा 92 प्रतिशत छावनी बोर्ड पछमढ़ी (वर्ग-II) और विलिंग्टन (वर्ग-II) के बीच रही जैसा कि **अनुलग्नक-III** में दर्शाया गया है।तथापि यह पाया गया कि, कर्मचारियों की 41 प्रतिशत कमी के बावजूद छावनी बोर्ड बैरकपुर ने 20 कर्तव्यों को पूरा किया था, वहीं छावनी बोर्ड पछमढ़ी और विलिंग्टन ने कर्मचारियों

की आठ प्रतिशत की कमी के बावजूद क्रमशः 16 तथा आठ कर्तव्यों को पूरा किया।

- छावनी बोर्डों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की तुलना में श्रमशक्ति का मूल्यांकन करने वाले प्रतिमानों के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए प्रश्न के लिए डी जी ई से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2015)।

- आदेशात्मक सेवाओं के निष्पादन के लिए जहाँ तक निधियों की उपलब्धता का सवाल है तो, ऐसा पाया गया कि, निधियों की कोई कमी नहीं थी क्योंकि, नमूना जाँच की गई छावनी बोर्ड पिछले पाँच वर्षों के दौरान उन्हें आबंटित निधियों का उपयोग करने में असफल रहीं जैसा कि पैरा 2.5.3.2 में चर्चा की गई है ।

2.1.2.3 केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजनाओं का अमल में न लाया जाना

अधिनियम के खण्ड 10 के द्वारा, छावनी बोर्डों को अनुदान और विनिधान लेने या केन्द्र सरकार द्वारा घोषित समाज कल्याण, लोक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, विज्ञान, सुरक्षा, जल आपूर्ति, सफाई, शहरी नवीनीकरण और शिक्षा योजनाओ को अपने निवासियों के लिए अमल में लाने हेतु संविधान के अनुच्छेद 243-पी के उपवाक्य (ई) के अनुसार नगरपालिकाओं के रुप में घोषित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित निम्नलिखित योजनाओं को छावनी बोर्ड द्वारा अमल में लाना था:

- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहर नवीनीकरण मिशन (जे एन एन यू आर एम)
- स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाय)
- राजीव आवास योजना (आर ए वाई)

जे एन एन यू आर एमः पहचाने गए शहरों के सुधारों तथा शीघ्र गति नियोजित विकास को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने (दिसम्बर 2005) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहर नवीनीकरण मिशन को चुनिन्दा शहरो में सुधार लाने तथा तीव्र गति नियोजित विकास को प्रोत्साहन देने हेतु शुरू किया ।

इस योजना के कार्यक्रम के लिए 50 प्रतिशत धनराशि शहरी विकास मंत्रालय(एमओयूडी) द्वारा, 30 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा तथा 20 प्रतिशत स्थानीय निकाय द्वारा प्रदान करनी थी। चूँकि राज्य सरकारें छावनी क्षेत्रों मे आधार भूत संरचना परियोजनाओं के लिए मिशन के अधीन निधि देने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए संयुक्त सचिव छावनियाँ तथा कार्य [जे एस(सी एण्ड डब्ल्यू)] ने मिशन डायरेक्टर (जे एन एन यू आर एम) से (मार्च 2010) अवगत कराया कि रक्षा मंत्रालय छावनी बोर्डों द्वारा दी जाने वाली 20 प्रतिशत राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार (30 प्रतिशत) द्वारा दी जाने वाली निधि को भी देने का विचार कर रही है। तथापि, वित्त मंत्रालय को प्रेषण से पूर्व शहरी विकास

मंत्रालय(एम ओ यू डी) से इस आशय की पुष्टी मांगी कि, क्या जे एन एन यू आर एम निधि छावनी बोर्डों को उपलब्ध करवाई जाएगी ।

जे एन एन यू आर एम के मिशन डायरेक्टर ने (अप्रैल 2010) संयुक्त सचिव (सी एण्ड डब्ल्यू) को सूचित किया कि, बहुतांश राज्यों ने उनके द्वारा आंबटित राशि को खर्च कर दिया है इसलिए छावनी क्षेत्रों में शहरी आधारभूत संरचना को आर्थिक सहायता के लिए तब तक रूकना पड़ेगा जब तक मिशन के लिए अतिरिक्त आंबटन प्राप्त नहीं हो जाता। मार्च 2011 में रक्षा राज्य मंत्री ने शहरी विकास मंत्रालय से निवेदन किया कि, वे इस मामले को सुलझाने के लिए कदम उठाए ताकि छावनी बोर्डोंको मिशन का लाभ मिलसके। फरवरी 2012 में हुई बैठक में जे एन एन यू आर एम के मिशन डायरेक्टर ने कहा कि,राज्य सरकारों द्वारा छावनी बोर्डों की जरूरतों को, जे एन एन यू आर एम के अगले फेज के लिए शहर विकास योजनाओं(सी डी पी) को तैयार करते समय, ध्यान में रखा जाएगा ।

महानिदेशक रक्षा सम्पदा ने रक्षा मंत्रालय को (मई 2014) सूचित किया कि, छावनी बोर्डों को जे एन एन यू आर एम फेज-1 में शामिल नहीं किया गया। दस्तावेजों की संवीक्षा से पता चला कि, महानिदेशक रक्षा सम्पदा और शहरी विकास मंत्रालय के बीच पिछले नौ वर्षों से योजना के कार्यान्वयन के लिए निधि से संबंधित मामले को सुलझाया नहीं जा सका।

सारांश यह है कि, यद्यपि 28 छावनी बोर्ड, जो उन शहरों से सटी हुई थीं जिनका नाम योजना के फेज-। में जे एन एन यू आर एम के तहत मिलने वाले लाभों के लिए योग्य पायी गई थीं (जिसमें से सात[11] छावनी बोर्ड नमूना जाँच की गई 17 छावनी बोर्डों में शामिल थीं) ,फिर भी योग्य छावनियों के निवासियों को इस योजना के लाभों से वंचित रहना पड़ा।

यह भी देखा गया कि योग्य छावनी बोर्डों ने मामले को राज्य प्राधिकारों के सामने रखा,फिर भी यह मिशन निम्नलिखित कारणों की वजह से कार्यान्वित नहीं किया जा सकाः

- **छावनी बोर्ड शिलांगः** छावनी बोर्ड ने जे एन एन यू आर एम के विषय में शहर विकास योजना के अंतर्गत छावनी बोर्ड शिलाँग के क्षेत्र को शामिल करने के लिए मामले को (जनवरी 2008) मेघालय शहरी विकास प्राधिकारी (एम यू डी ए),जो मेघालय सरकार का उपक्रम हैं, के सामने रखा। मेघालय सरकार ने (जुलाई 2008) सूचित किया कि, छावनी बोर्ड शिलाँग का क्षेत्र, जल आपूर्ति परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है और छावनी बोर्ड से इस परियोजना के लिए अलग से निधि रखने के लिए कहा जो कि, कुल

[11]दानापुर, लखनऊ, मेरठ, रामगढ़, शिलांग, देहरादून तथा बैरकपुर

परियोजना लागत का 0.20 प्रतिशत था। छावनी बोर्ड शिलाँग ने (दिसम्बर 2009) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की प्रति प्रदान करने के लिए एम यू डी ए को निवेदन किया ताकि छावनी बोर्ड निधि के आंबटन के लिए मामले को प्रस्तुत कर सके। एम यू डी ए ने (फरवरी 2010) सूचित किया कि, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन राज्य लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग (पी एच ई) विभाग द्वारा तैयार किया गया है अतः इस मामले को उनके साथ लिया जाए। 20 महीनों के अन्तराल के बाद छावनी बोर्ड शिलाँग ने (अक्तूबर 2011) छावनी बोर्ड द्वारा वहन की जाने वाली आनुपातिक लागत को सूचित करने के लिए,पी एच ई विभाग से निवेदन किया। लोक-स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के मुख्य अभियंता ने (दिसम्बर 2011) सूचित किया कि,छावनी बोर्ड को दो स्थानों पर टंकियों को बनाना होगा तथा छावनी क्षेत्र के भीतर जल के वितरण की व्यवस्था करनी होगी। तथापि, हमने देखा कि, छावनी बोर्ड शिलाँग ने टंकियों को बनाने की कोई योजना तैयार नहीं की।

जवाब में (दिसम्बर 2014) छावनी बोर्ड शिलाँग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ने कहा कि, दो टंकियों के निर्माण की आवश्यकता है जिनका निर्माण किया जाएगा। यह भी कहा कि, छावनी बोर्ड पी एच ई की मौजूदा सप्लाई लाइन से निवासियों को 48 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की आपूर्ति कर रही है ।

- **छावनी बोर्ड दानापुरः** महानिदेशक, रक्षा सम्पदा के छावनी बोर्ड दानापुर को दी गई हिदायतों के अनुसार छावनी बोर्ड दानापुर ने जे एन एन यू आर एम के अधीनशहर विकास योजना (सी पी डी)को तैयार करने के लिए, आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्णय (जुलाई 2010) लिया। छावनी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने, शहरी विकास तथा गृह रचना विभाग, बिहार सरकार के सचिव से भी (अगस्त 2012) भेंट की जिसमें तय हुआ कि, जे एन एन यू आर एम के अधीन योजनाओं के एकत्रीकरण के लिए छावनी बोर्ड तथा दानापुर नगर निगम के प्राधिकारी मिलें।

  तथापि, कोई कार्रवाई नहीं की गई और छावनी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी ने जवाब में कहा (दिसम्बर 2014) कि, शहरी योजना/मल व्यवस्था योजना इत्यादि बनाने के लिए आवश्यक कुशल तथा अनुभवी तकनीकी स्टाफ की कमी के कारण छावनी बोर्ड दानापुर द्वारा सीडीपी या डीपीआर ढाँचा तैयार नहीं किया गया ।

- **छावनी बोर्ड रामगढ़** प्रधान निदेशक, रक्षा सम्पदा (मध्य कमान) ने छावनी बोर्ड रामगढ़ को (फरवरी 2012) निर्देश दिए कि, वो अपने छावनी क्षेत्र के लिए छावनी विकास योजना को जल्द पूरा करे और उसे जेएनएन यू आर एम फेज – II के लिए राँची शहर की सीडीपी में एकीकृत किया जाए। छावनी बोर्ड के दस्तावेजों की संवीक्षा से यह प्रकट हुआ कि, सीडीपी को बनाने के लिए छावनी बोर्ड द्वारा कोई प्रगति नहीं की गई।

छावनी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने (फरवरी 2015) उत्तर में कहा कि छावनी बोर्ड ने शहरी विकास विभाग राँची तथा नगर-निगम से इस बारे में आग्रह किया था लेकिन, उन्होंने सूचित किया कि छावनी बोर्ड रामगढ़ जे एन एन यू आर एम योजना के अंतर्गत नहीं आता। विभाग का यह दावा सही नहीं था क्योंकि छावनी बोर्ड रामगढ़ इस योजना के कार्यान्वयन के लिए महानिदेशक रक्षा सम्पदा द्वारा चयनित योग्य छावनियों में सम्मिलित थी।

- **छावनी बोर्ड बैरकपुरः** छावनी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने (नवम्बर 2006) कोलकाता के व्यापक शहर नवीनीकरण योजना में छावनी बोर्ड बैरकपुर को एकत्रीकृत करने के मामले को सचिव, शहर विकास/स्थानीय स्वायत्त शासन, पश्चिम बंगाल सरकार के सामने रखा। प्रधान निदेशक रक्षा सम्पदा, पू.क. कोलकाता ने भी (जुलाई 2009) पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव से निवेदन किया कि, वे म्युनिसिपल कमिश्नर बैरकपुर को व्यापक सी डी पी तैयार करते समय छावनी बोर्ड बैरकपुर की आधारभूत संरचना की मांग को संज्ञान में रखे। छावनी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने, (सितम्बर 2010) राज्य शहरी विकास प्राधिकरण के निदेशक की सिफारिश के साथ राज्य शहर विकास प्राधिकारी के डायरेक्टर के जरिए म्युनिसिपल अफयर्स विभाग के सचिव को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भिजवायी। परंतु छावनी बोर्ड को (अप्रैल 2015) कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ।

- **छावनी बोर्ड लखनऊः** छावनी बोर्ड लखनऊ ने (जुलाई 2009) जेएनएनयूआरएम योजना के क्रियान्वयन के लिए लखनऊ नगर निगम के लिए व्यापक शहरी विकास योजना में छावनी बोर्ड लखनऊ क्षेत्र को शामिल करने के लिए लखनऊ नगर-निगम (एल एम सी) को आग्रह किया । छावनी बोर्ड आधारभूत संरचना के विकास जिसमें, जल आपूर्ति संवर्धन, मल- व्यवस्था, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग तथा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट शामिल था जिसकी लागत ₹91.10 करोड़ आँकी गई, को लखनऊ शहर की अन्तिम रूप दिए गए सी डी पी में शामिल करली गई। यद्यपि, छावनी बोर्ड ने (दिसम्बर 2010) एल एम सी को छावनी बोर्ड में जेएनएनयूआरएम योजना के क्रियान्वयन संबंधी आवश्यक कदम उठाने के लिए पुनः निवेदन किया लेकिन उत्तर प्रदेश जल निगम (जेएनएनयूआरएमके इन्चार्ज) ने (फरवरी 2014) बताया कि जेएनएनयूआरएम के अधीन छावनी बोर्ड के संबंध में मल व्यवस्था योजना को उनके द्वारा कार्यान्वित नहीं किया जा सकता तथा इस योजना पर आने वाला खर्च पूर्णतया छावनी बोर्ड द्वारा ही वहन किया जाना होगा। इस योजना को छावनी बोर्ड में कार्यान्वित (फरवरी 2015) नहीं किया जा सका ।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई)

यह योजना बेराजगारों और अपूर्ण रोजगारों को सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त लोक संपत्तियों के निर्माण में अपने कौशल, वैयक्तिक एवं वेतनीक काम करने का अवसर प्रदान करती थी । इस योजना के तहत धनराशि की पद्धति थी, 75 प्रतिशत केंद्र तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकारों द्वारा प्रदान करना। उपाध्यक्ष योजना आयोग ने (जून 2010) महानिदेशक रक्षा सम्पदा को सूचित किया कि, इस योजना से मिलने वाले लाभों को छावनी बोर्डों के क्षेत्रो में लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत छावनी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को अपनी आई को बढ़ाने के अवसर का लाभ दिलाना थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि, किसी भी नमूना जाँच किए गए छावनी बोर्डों में योजना कार्यान्वित नहीं की गई ।

राजीव आवास योजना (आरएवाय)

जून 2011 में, आर्थिक मामले की कैबिनेट समिति ने झुग्गी - झोपड़ी से मुक्त भारत को ध्यान में रखते हुए इस योजना को 2017 तक दो चरणों में लागू करने का अनुमोदन किया ।

इस योजना का उद्देश उन राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना या झुग्गी- झोपड़ी में रहने वाले लोगों को संपत्ति अधिकार सौंपने की इच्छुक हो ताकि अच्छे आश्रय बने और झुग्गी - झोपड़ियों के पूर्ण उत्थान और खरीद सकने वाले घरों के निर्माण के लिए मूलभूत तथा सामाजिक सेवाएँ प्रदान करने की इच्छा रखते हो । उन संपत्तियों के प्रावधान के लिए, जिसमें उनका प्रचालन व रखरखाव शामिल है, 50 प्रतिशत लागत केंद्र को उठानी थी। उत्तर पूर्वी राज्यों तथा विशेष श्रेणी के राज्यों (जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखण्ड) के लिए केंद्र का हिस्सा 90 प्रतिशत था ।

इस योजना की परिकल्पना थी कि जहाँ जमीन छावनी बोर्ड की है तो ऐसी अपेक्षा की जाती है कि संबंधित छावनी बोर्ड, राज्य सरकार, शहरी स्थानीय निगमों (यूएलबीओं) के सहयोग से कार्य करते हुऐ ऐसे उपाय करे ताकि गंदी बस्तियों के संपत्ति अधिकारों के साथ उनका पुनर्विकास व पुनःस्थापन से, अतिक्रमण में फंसी जमीन निकल सके ।

हाऊसिंग तथा अर्बन पावर्टी एलीविएशन मंत्रालय (एम ओ एच यू पी ए) के सचिव ने, 2022 तक 'सभी के लिए घर' प्रदान करने की केंद्र सरकार की सर्वप्रथम वरीयता की ओर ध्यान दिलाते हुए रक्षा मंत्रालयसे उस जमीन के विवरण अति शीघ्र (अक्तूबर 2014) माँगे जिन पर गंदी बस्तियाँ बसी थीं। तथापि, रक्षा मंत्रालय ने एमओएचयूपीए द्वारा मांगी गई अद्यतन जानकारी (जनवरी 2015) नहीं दी थी ।

महानिदेशक रक्षा सम्पदा से (सितम्बर 2014 तथा मार्च 2015) योजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी स्थिति पूछी गई थी लेकिन, (अगस्त 2015) तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ।

2.1.2.4 सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट (एसडब्ल्युएम) का लागू न होना

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने म्युनिसीपल तथा सॉलिड वेस्ट (मॅनेजनेंट तथा हॅन्डलिंग) नियम 2000 को बनाया, जो प्रत्येक नगर प्राधिकारी को लागू होती है जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के एकत्रीकरण, पृथक्करण, भंण्डारण, परिवहन, प्रक्रिया तथा निपटान के लिए जिम्मेदार है।

महानिदेशक रक्षा सम्पदा ने (जनवरी 2011) सभी रक्षा सम्पदा के प्रधान निदेशकों और छावनी बोर्डों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को इसके क्रियान्वयन के लिए निर्देश जारी किए। इस नियम में घर-घर से एकत्रीकरण, म्युनिसिपल वेस्ट का बायो-डिग्रेडेबल तथा नॉन-बायो-डिग्रेबल वेस्ट में पृथक्करण, ढका हुआ परिवहन, बायो-डिग्रेडेबल/नॉन बायो-डिग्रेडेबल/ रिसाईकिलिंग के अलग भंडारण तथा अन्य वेस्टों को अलग रखना और बायो-डिग्रेडेबल वेस्ट का वर्मिन- कम्पोस्टिंग शामिल थे।

महानिदेशक रक्षा सम्पदा के दस्तावेजों की संवीक्षा से पता चला कि महानिदेशक ने 10 वर्षों से अधिक अंतराल के बाद महानिदेशक रक्षा सम्पदा व छावनी बोर्डों को इस संबंध में अनुदेश जारी किए।नमूना जाँच की गई छावनी बोर्डों के दस्तवेजों की संवीक्षा ने निम्नलिखित बातों को प्रकट किया हैः

- छावनी बोर्ड लखनऊ तथा छावनी बोर्ड वेलिंग्टन के सिविल एरिया को छोड़कर बाकी किसी भी नमूना जाँच की गई छावनी बोर्डों में इस नियम को कार्यान्वित नहीं किया गया।

  जवाब में छावनी बोर्ड वेलिंग्टन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने (मार्च 2015) कहा कि, मिलिटरी क्षेत्र में घर-घर से कूड़ा-कचरा इकट्ठा करना पॉलिसी के अनुसार अधिकृत नहीं था।

- अन्य छावनी बोर्डों ने मात्र दो कार्यकलापों जैसे कि वेस्ट को घर-घर से एकत्रीकरण तथा वेस्ट को खंदक जमीन/भराई में डालते हुए इस योजना को आंशिक रूप में कार्यान्वित किया।

- छावनी बोर्ड अहमदनगर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने नवम्बर 2014 को दिए जवाब में कहा कि, सिविल क्षेत्र में घर-घर से कूड़ा-कचरा इकट्ठा करने का प्रस्ताव कार्यान्वित हुआ था तथा आर्मी क्षेत्र में इसके क्रियान्वयन के प्रस्ताव को प्रधान नियंत्रक रक्षा लेखा से अनुमति (नवम्बर 2014), जो कि सेना के एकीकृत वित्तीय

सलाहकार हैं और जिनकी अनुमति इसके लिए जरूरी थी, अभी तक प्राप्त नहीं हुई।

- छावनी बोर्ड बैरकपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने (अप्रैल 2015) बताया कि, छावनी क्षेत्र में साँलिड वेस्ट मैंनजमेंट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए हाऊसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेंट कार्पोरेशन के साथ भी संपर्क किया गया है लेकिन प्रक्रिया को अभी क्रियान्वित (अप्रैल 2015) किया जाना है ।

2.1.2.5 छावनी बोर्ड द्वारा दी जाने वाली जल आपूर्ति सेवा में अपर्याप्तता

अधिनियम के खण्ड 62 (x) के अनुसार,छावनी बोर्ड का यह दायित्व है कि वे अपने आवासियों को उपयोग के लिए पेय तथा पर्याप्त जल मुहैया करवाए।

नमूना जाँच की गई छावनी बोर्डों के दस्तावेजों की जाँच व उनके द्वारा उपलब्ध करवायी गई जानकारी की संवीक्षा से यह उजागर हुआ कि, देहरादून, मेरठ, लखनऊ, रामगढ़, दानापुर, डलहौजी तथा पचमढ़ी छावनी बोर्डों के खुद के जल आपूर्ति स्त्रोत हैं। छावनी बोर्ड क्लेमेंट टाऊन में उत्तराखण्ड पेय जल संस्थान द्वारा सीधे ही छावनी क्षेत्र में जल की सप्लाई की जाती है। बाकी बची नौ छावनी बोर्ड अपने आवसियों को पानी की आपूर्ति या तो एम.ई.एस. से खरीदकर या पड़ौसी नगर निगमों से खरीद कर करती है। 16 छावनी बोर्डों (छावनी बोर्ड क्लेमेंट टाऊन को छोड़कर) के द्वारा प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति की मात्रा के ब्यौरे **अनुलग्नक-IV** में दिए गए हैं।

हमने देखा किः

- मात्र छह छावनी बोर्ड ही विश्व स्वास्थ्य संगठन मानदण्डों के समतुल्य रिहाइशी आवास के लिए की गई 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की आपूर्ति अपने आवासियों के लिए कर पाई । बाकी 10 छावनी बोर्डों द्वारा की गई जल आपूर्ति की मात्रा 36 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (छावनी बोर्ड लॅण्सडाऊन, वर्ग-III) तथा 95 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (छावनी बोर्ड विलिंग्टन, वर्ग-II) के बीच रही।

- केवल 12 छावनी बोर्ड ही पाइपों द्वारा ही शत प्रतिशत जल की आपूर्तिकर पाए। शेष बची छावनी बोर्डों के संबंध में पाइपों द्वारा जल आपूर्ति की प्रतिशतता 28 (छावनी बोर्ड रामगढ़ (वर्ग-I)) तथा 99 (छावनी बोर्ड लॅण्सडाऊन (वर्ग-III)) के बीच रही।

- पेय जल के अभाव से उभरने के लिए छावनी बोर्ड अहमदनगर ने, ₹4.19 लाख की लागत से फरवरी-मार्च 2009 में सात बोअरवेल खुदवायी और पेयजल को सुनिश्चित किए बगैर उसे जनता के लिए खोल दिया। नवम्बर 2014 तक बोर्ड ने बोअरवेल के पानी की पेयजन्य जाँच नहीं करवायी थी। छावनी बोर्ड ने हालांकि

कहा कि, निवासियों को सूचित कर दिया गया था कि, बोअरवेल का पानी पीने के उपयोग में न लाएँ।

अतः छावनी बोर्डों द्वारा प्रदान की गई जल आपूर्ति अपर्याप्त थी।

जल खरीदी पर परिहार्य अत्यधिक खर्च और राजस्व की हानि

नमूना जाँच की गई छावनी बोर्डों के दस्तावेजों की संवीक्षा के दौरान जल खरीदी पर परिहार्य व्यय और राजस्व हानि के निम्नलिखित मामले प्रकट हुएः

- 1589 किलो लीटर प्रति दिन (के एल पी डी) पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, छावनी बोर्ड अहमदनगर 1012 (के एलपीडी) पानी मिलिटरी इंजीनियरिंग सेवा (एम ई एस) से व्यावसायिक दरों पर खरीद रही थी जो इसे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एम आई डी सी) से ले रही थी। एम आई डी सी पड़ोसी नगर-निगम को पानी की आपूर्ति घरेलू दरों ₹7.50 प्रति के एल पर कर रही थी, जबकि एम.ई.एस. से वह व्यावसायिक दरों पर वसूली कर रही थी जिसके कारण वर्ष 2009-10 से 2013-14 के मध्य ₹3.19 करोड़ का परिहार्य अधिक खर्चा हुआ । यद्यपि छावनी बोर्ड ने (जून 2003) में एम.आई.डी.सी से छावनी तक स्वतंत्र जल आपूर्ति प्रोजेक्ट के लिए विशेष अनुदान का प्रस्ताव जनरल ऑफिसर कमानडिंग-इन-चीफ, दक्षिणी कमान को भेजा था, लेकिन आज तक उसे मंजूरी नहीं मिली। इस बीच इस प्रोजेक्टकी लागत ₹1.20 करोड़ (जून 2003) से बढकर ₹7.62 करोड़ (जनवरी 2013) हो गई ।

- छावनी बोर्ड वेलिंग्टन अपने आवासियों को आपूर्ति के लिए लगभग 22 लाख लीटर पानी बिलिंग समय सीमा 2 महीने के लिए एम.ई.एस. से ले रही थी । इसके लिए एम.ई.एस. ने अप्रैल 2009 से दिसम्बर 2012 की अवधि के लिए ₹16.52 प्रति किलो लीटर और दिसम्बर 2012 से ₹41.80 प्रति किलो लीटर की दर से पैसे वसूले। तथापि हमने देखा कि, वर्ष 2008 से छावनी बोर्ड मात्र ₹7 किलो लीटर जिसकी अधिकतम सीमा ₹70 प्रति माह थी, की दर से रिहाइशी मकानों से पानी की वसूली कर रही थी जिसके कारण 2009-10 से 2013-14 की अवधि मे ₹58.13 लाख के राजस्व की हानि हुई ।

जब इस पर आपत्ति जताई गई तो, जवाब में मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने (मार्च 2015) उत्तर में कहा कि निर्वाचित सदस्यो ने पानी की दरों में बढ़ोत्तरी पर आपत्ति जताई ।

2.1.2.6 चिकित्सा तथा शिक्षा सुविधाओं के प्रावधानों के लिए मानदण्डों का अभाव

इरादतन छावनियाँ मूल रुप से पूरी तरह सेना, सेना टुकड़ियाँ तथा उनके अनुयायियों के लिए आरक्षित थी। समय के अंतराल के साथ, बड़ी संख्या में सामान्य नागरिक भी

छावनियों में आकर रहने लगे। उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया ताकि, सेना के अफसरों, सैनिकों तथा अनुचरों को सुख- सुविधाएँ प्रदान की जा सके।

छावनी अधिनियम 2006 के खण्ड 62 (XIII) तथा (XIV) के अनुसार, यह छावनी बोर्डों की जिम्मेवारी है कि, वे अस्पतालों तथा स्कूलों की स्थापना करें उनका रखरखाव करें।

जाँच की गई 17 छावनी बोर्डों में चिकित्सा तथा शैक्षणिक सुविधाओं को **अनुलग्नक V** तथा **VI** में निर्दिष्ट किया गया हैं।

- इन छावनी बोर्डों के दस्तावेजों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान छावनी बोर्डों द्वारा प्रदान की गई अस्पताल तथा स्कूलों की सुविधाओं का लाभ छावनी क्षेत्रों में रहने वाले सशस्त्र सेनाओं द्वारा नहीं लिया जा रहा था। यह मुख्यतया इसलिए क्योंकि, सशस्त्र सेनाएँ अब ऐसी सुविधाओं के लिए छावनी बोर्डों पर निर्भर नहीं है चूँकि उन्होनें अपनी माँगों के अनुरुप स्वास्थ्य तथा शिक्षा संबंधी सेवाओं की व्यवस्था कर ली है।

- संवीक्षा से यह भी पता चला कि 88781 की आबादी के लिए छावनी बोर्ड रामगढ़ (वर्ग-I) के पास 32 बिस्तरों वाला अस्पताल था, वहीं 63000 की आबादी के लिए छावनी बोर्ड लखनऊ (वर्ग-I) के पास 44 बिस्तरों वाला अस्पताल था। दानापुर, रानिखेत, शिलाँग तथा पछमढ़ी छावनी बोर्ड जो कि वर्ग-II के छावनी बोर्ड हैं, के पास कोई भी अस्पताल नहीं था, अतः वहाँ की आबादी चिकित्सा संबंधी सेवाओं से वंचित रही वहीं, छावनी बोर्ड दानापुर (28723) से तुलनात्मक आबादी के साथ छावनी बोर्ड अहमदनगर (28986) के पास 36 बिस्तरों वाला अस्पताल था। वर्ग-III के अधीन छावनी बोर्ड चक्राता और लॅण्सडाऊन की लगभग 5000 की तुलनात्मक जनसंख्या थी, परंतु छावनी बोर्ड लॅण्सडाऊन के पास 33 बिस्तरों का अस्पताल था, जबकि छावनी चक्राता बोर्ड के पास अस्पताल ही नहीं है ।

- छावनी बोर्ड मेरठ जो वर्ग- (I) श्रेणी छावनी बोर्ड है, के पास 93312 आबादी के लिए 4 प्राथमिक विद्यालय, तथा एक इन्टरमीडिएट कॉलेज थे जबकि छावनी बोर्ड रामगढ़ जो वर्ग (I) श्रेणी का है, के पास 88781 आबादी के लिए 6 मीडिल स्कूल तथा एक हायस्कूल था।

- छावनी बोर्ड दानापुर जो वर्ग (II) श्रेणी का है, के पास 28723 आबादी के लिए कोई स्कूल नहीं था। जबकि छावनी बोर्ड अहमदनगर जिसकी आबादी 28986 है और जो वर्ग-II की श्रेणी में आता है, के पास एक किन्डरगार्टन, पाँच प्राईमरी और एक हाईस्कूल था।

- छावनी बोर्ड खास्योल तथा पछमढ़ी जो वर्ग-II की छावनी बोर्ड हैं तथा जिसकी लगभग 12000 की तुलनात्मक आबादी है, परंतु छावनी बोर्ड खास्योल में चार

प्राथमिक स्कूलें तथा एक हायस्कूल था, जबकि छावनी बोर्ड पछमढ़ी में मात्र एक ही प्राथमिक स्कूल था।

नमूना जाँच की गई छावनी बोर्डों में देखा गया है कि, चिकित्सा तथा शैक्षणिक सुविधाओं के प्रावधान संबंधी कोई मानदण्ड/मान नहीं थे, जिसके परिणामस्वरुप छावनी की आबादी के संदर्भ में चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता में विषमता आ गई।

2.1.3 वित्तीय प्रबंधन

वित्तीय प्रबंधन में वित्तीय माँगों के पूर्वानुमान जरूरत के आधार पर निधियों की व्यवस्था, विवेकपूर्ण आंबटन तथा वास्तविक व्यय को मॉनिटरिंग करना शामिल है।

छावनी अधिनियम 2006 छावनी बोर्डों को केंद्र सरकार की अनुमति से उनके क्षेत्रों में कर/दरों/भारों की उगाही के द्वारा राजस्व उत्पन्न करने का अधिकार देता है। छावनी बोर्डों के कुल राजस्व को मोटे तौर पर स्वंय स्रोत राजस्व, केंद्र सरकार से सहयता अनुदान और राज्य सरकार से अन्य अनुदानों में विभाजित किया जा सकता है।

2.1.3.1 प्राप्ति तथा व्यय

हमने पाया कि, नमूना जाँच की गई 17 छावनी बोर्डों की 2009-10 से 2013-14 की पाँच वर्षों की अवधि के दौरान कुल प्राप्तियाँ जिनमें सहायक अनुदान समाविष्ट था, ₹1125.41 करोड़ थीं और जो खर्चा हुआ वह ₹1015.58 करोड़ का था जैसा कि **तालिका -10** में ब्यौरेवार दिया गया हैः

तालिका -10

(₹ करोड़ में)

छावनी/ वर्ग	कर प्राप्तियाँ	गैर कर प्राप्तियाँ	सहायक अनुदान		कुल प्राप्तियाँ	कुल व्यय
			केंद्र	राज्य		
देहरादून/I	39.53	19.72	35.36	1.77	96.38	99.62
लखनऊ/I	73.86	43.47	46.44	शून्य	163.77	161.06
मेरठ/I	110.01	29.10	28.82	0.69	168.62	172.85
रामगढ़/I	16.81	20.88	37.23	1.13	76.05	73.82
अहमदनगर/II	31.77	13.24	23.92	5.77	74.70	60.99
बैरकपुर/II	26.98	14.36	23.92	0.07	65.33	48.05
क्लेमेंटटाऊन/II	3.4	13.69	30.11	शून्य	47.20	42.97
दानापुर/II	4.23	12.77	24.47	शून्य	41.47	31.75
खास्योल/II	2.95	6.25	18.04	शून्य	27.24	24.52
पछमढ़ी/II	8.23	4.88	20.62	0.01	33.74	31.38
रानीखेत/II	7.87	12.74	51.56	2.51	74.68	59.39
शिलाँग/II	7.27	11.78	20.42	1.12	40.59	22.65
विलिंग्टन/II	7.00	14.56	60.06	शून्य	81.62	78.53

छावनी/ वर्ग	कर	गैर कर	सहायक अनुदान		कुल प्राप्तियाँ	कुल व्यय
चक्राता/III	1.78	5.91	42.11	1.28	51.08	35.86
लॅण्डसडाऊन/III	4.03	6.87	33.76	1.46	46.12	39.83
डलहौजी/IV	2.13	4.48	10.20	शून्य	16.81	15.25
जलपहार/IV	1.05	2.71	16.25	शून्य	20.01	17.06
कुल	**348.90**	**237.41**	**523.29**	**15.81**	**1125.41**	**1015.58**

नोटः करों में सेवा भार शामिल है तथा गैर-करों में मिलिटरी सफाई-व्यवस्था, निवेशों पर ब्याज तथा अन्य विविध आई शामिल है।

नमूना जाँच की गई छावनी बोर्डों की प्राप्तियाँ और व्यय का विश्लेषण यह प्रकट करता है किः

- नमूना जाँच की गई 17 छावनी बोर्ड मुख्यतया सहायक अनुदान पर निर्भर थी क्योंकि, कुल प्राप्तियों का 48 प्रतिशत सहायक अनुदान से ही मिली थीं।

- ₹1125.41 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से, ₹651.51 करोड़ सेवाओं को प्रदान करने के उपयोग में लाई गई जिसमें, स्थापना पर ₹398.82 करोड़ (61 प्रतिशत), रखरखाव तथा मरम्मतों पर ₹246.38 करोड़ (38 प्रतिशत) तथा ₹6.31 करोड़ नए कार्य पर (एक प्रतिशत), सम्मिलित था, जैसा कि **अनुलग्नक-VII** में ब्यौरेवार दिया गया है।

- नए कार्यों पर खर्चा मात्र एक प्रतिशत का खर्च हुआ था, जो यह निर्दिष्ट करता है कि, पाँच वर्षों के दौरान छावनी बोर्डों द्वारा कोई नई मूर्त संपत्तियों का निर्माण नहीं किया गया।

2.1.3.2 छावनी बोर्डों द्वारा अवास्तविक बजट बनाना

आगामी वर्ष के लिए छावनी निधि में जमा होनेवाली प्राप्तियों (जिसमें अपेक्षित अनुदान समाविष्ट है) तथा व्यय जिसे वर्ष में खर्च करना है, का अनुमानित बजट जिसे बोर्ड द्वारा पारित किया जानाथा, को छावनी बोर्डप्रत्येक वर्ष के सितम्बर के पहले दिन या उससे पूर्व अपने-अपने कमान के जी ओ सी-इन-सी को प्रस्तुत करती हैं। जी ओ सी-इन-सी अपनी सिफारिशों के साथ रक्षा सम्पदाओं के प्रधान निदेशक के जरिए इसे रक्षा मंत्रालय को सहायक अनुदान को रिलिज करने के लिए प्रस्तुत करता है।

2009-10 से 2013-14 अवधि के लिएनमूना जाँच की गई छावनी बोर्डों के बजट अनुमानों तथा वार्षिक लेखों की संवीक्षा से यह ज्ञात हुआ कि, वर्ष के दौरान पुर्वानुमानित व्यय के विषय में छावनी बोर्डों द्वारा बनाए गए बजट अनुमान अवास्तविक थे तथा बजट अनुमानों/संशोधित अनुमानों में छावनी बोर्डों द्वारा प्रस्तावित रकमों में प्रधान निदेशक रक्षा सेवाएँ द्वारा आबंटित निधियों तथा छावनी

बोर्डों द्वारा वास्तविक रूप में किए गए खर्चों में असंबद्धता दिखाई देतीहै जैसा कि **अनुलग्नक-VIII** में निर्दिष्ट किया गया है।

नमूना जाँच की गई छावनी बोर्डों द्वारा किए गए वास्तविक व्यय का प्रतिशत संशोधित अनुमानों में प्रत्याशित व्यय की तुलना में निम्न के बीच रहाः

- वर्ष 2009-10 के दौरान 29 प्रतिशत (छावनी बोर्ड दानापुर) तथा 98 प्रतिशत (छावनी बोर्ड खास्योल),
- वर्ष 2010-11 के दौरान 33 प्रतिशत (छावनी बोर्ड दानापुर) तथा 102 प्रतिशत (छावनी बोर्ड खास्योल),
- वर्ष 2011-12 के दौरान 30 प्रतिशत (छावनी बोर्ड दानापुर) तथा 99 प्रतिशत (छावनी बोर्ड खास्योल),
- वर्ष 2012-13 के दौरान 27 प्रतिशत (छावनी बोर्ड रामगढ़) तथा 107 प्रतिशत (छावनी बोर्ड खास्योल),
- वर्ष 2013-14 के दौरान 40 प्रतिशत (छावनी बोर्ड रामगढ़) तथा 101 प्रतिशत (छावनी बोर्ड खास्योल)

इसके अलावा छावनी बोर्डों के विभिन्न कार्यकलापों के लिए प्रधान निदेशक, रक्षा सेवाएँ द्वारा संस्वीकृत निधि को छावनी बोर्ड पूर्णतया उपयोग में नहीं ला सका। आबंटित निधियों, जिसमें सहायक अनुदान शामिल था,के विपरित वास्तविक व्यय का प्रतिशत निम्न के बीच रहाः

- वर्ष 2009-10 के दौरान 37 प्रतिशत (छावनी बोर्ड चक्राता) तथा 78 प्रतिशत (छावनी बोर्ड अहमदनगर),
- वर्ष 2010-11 के दौरान 38 प्रतिशत (छावनी बोर्ड दानापुर) तथा 98 प्रतिशत (छावनी बोर्ड विलिंग्टन)
- वर्ष 2011-12 के दौरान 29 प्रतिशत (छावनी बोर्ड दानापुर) तथा 89 प्रतिशत (छावनी बोर्ड विलिंग्टन)
- वर्ष 2012-13 के दौरान 26 प्रतिशत (छावनी बोर्ड रामगढ़) तथा 87 प्रतिशत (छावनी बोर्ड खास्योल)
- वर्ष 2013-14 के दौरान 43 प्रतिशत (छावनी बोर्ड चक्राता) तथा 85 प्रतिशत (छावनी बोर्ड खोस्योल)

इससे यह निर्दिष्ट होता है कि छावनी बोर्डों द्वारा तैयार किए गए अनुमानित बजट अवास्तविक थे और निधियों की उपलब्धता के बावजूद छावनी बोर्ड सेवाएँ प्रदान करने के लिए निधियों का उपयोग करने में असफल रहीं।

वर्ष के दौरान आंबटित निधियों के इस्तेमाल न करने के कारणों के जवाब में, छावनी बोर्ड अहमदनगर तथा छावनी बोर्ड विलिंग्टन के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने (क्रमशः नवम्बर 2014 तथा फरवरी 2015) कहा कि, संस्वीकृतियाँ वर्ष के अंत में प्राप्त हुई थीं, तथापि प्रदान किए गए व्यय को उपगत करने के अधिकतम प्रयास किए गए लेकिन प्रशासनिक कारणों के कारण उन्हे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

तथापि, सच्चाई यही है कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान नमूना जाँच की गई छावनी बोर्डों में प्रत्येक वर्ष दो से 74 प्रतिशत के क्रम में निधियाँ इस्तेमाल नहीं हो सकी।

2.1.3.3 छावनी बोर्डों द्वारा सहायक निधि के उपयोग संबंधी प्रमाणीकरण

सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 212(1) के अनुसार, वर्ष के दौरान प्राप्त सहायक निधि के उपयोग के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र छावनी बोर्डों द्वारा महानिदेशक रक्षा सम्पदा को दिया जाता है, जो प्राप्त सहायक निधि की राशि के उपयोग या अन्यथा, को प्रदर्शित करता है। नमूना जाँच की गई छावनी बोर्डों के दस्तावेजों की संवीक्षा ने यह प्रकट किया है कि यद्यपि छावनी बोर्डों ने प्राप्त सहायक निधि के लिए उपयोग प्रमाणपत्रों को जारी किया, परंतु उन्होंने सहायक निधि के लेखा-जोखा के लिए अलग से सहायक रोकड़ बही/लेखों को नहीं बनाया। परिणामस्वरुप हम छावनी बोर्डों द्वारा जारी किए उपयोग प्रमाणपत्रों के यथातथ्यों को सत्यापित नहीं कर पाए।

सहायक निधि के लिए अलग से सहायक रोकड़ बही/लेखों को न बनाए जाने के कारणों संबंधी जारी (मार्च 2015) लेखापरीक्षा के सवाल पर महानिदेशक रक्षा सम्पदा ने (अगस्त 2015) कोई जवाब नहीं दिया ।

2.1.3.4 राज्य प्राधिकारियों द्वारा राजस्व की कुल वसुलियों को न बाँटा जाना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 X जिसे अनुच्छेद 243 Y सहित पढ़ा जाए, के प्रावधानों तथा राज्य वित्तीय आयोगों द्वारा दी गई लगातार सिफारिशों के अनुसार राज्यों की नगरपालिकाओं को उनके राज्यों के द्वारा वसूल किए गए करों, मार्ग-करों, शुल्कों तथा फीसों का हिस्सा प्राप्त होने लगा था। इसके अलावा नगरपालिकाएँ कुछ करों, शुल्कों तथा फीसों को भी नियत करती है। ये राज्यों के समेकित निधि में से नगर निगमों को दिए जाने वाले सहायक निधि से अलग है।

छावनी अधिनियम 2006 के खण्ड-10 के अनुसार छावनी बोर्डों को नगरपालिकाएँ समझने के रूप में भी घोषित किया गया था। अपनी-अपनी राज्य सरकारों से शुद्ध कर वसुलियों में से हिस्सा, साथ ही साथ अन्य आंबटनों और अनुदानों को प्राप्त

करने के लिए महानिदेशक रक्षा सम्पदा ने (अगस्त 2011) सुझाव दिया कि सभी रक्षा सम्पदा प्रधान निदेशक तथा छावनी बोर्डों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपनी-अपनी राज्य सरकारी अधिकारियों से संपर्क करें तथा उसे जारी रखें जब तक राज्य सरकारें निधियों के ऐसे हस्तांतरण पर सहमत नहीं हो जाती। तत्पश्चात महानिदेशक रक्षा सम्पदा ने (जनवरी 2013) विभिन्न राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों के साथ छावनी बोर्डों को कुल कर वसूली का तथा अन्य आंबटनों तथा अनुदानों को जिस प्रकार से नगरपालिकाओं को इनका आंबटन किया जाता है उसी पद्धति के समान यथोचित हिस्से के आंबटन के लिए मामला उठाया ।

नमूना जाँच की गई 17 छावनी बोर्डों के दस्तावेजों की संवीक्षा से प्रकट हुआ है कि महानिदेशक रक्षा सम्पदा द्वारा मामले को विभिन्न राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों के साथ उठाने तथा छावनी बोर्ड विलिंग्टन, दानापुर तथा रामगढ़ को छोड़कर अन्य छावनी बोर्डों ने भी अपनी-अपनी राज्य सरकारों/राज्य वित्तीय आयोग के सामने मामले को रखने के बावजूद, नमूना जाँच की गई छावनी बोर्डों को राज्यों की नगरपालिकाओं की तर्ज पर अपनी-अपनी राज्य सरकार के शुद्ध कर वसुलियों तथा अन्य अनुदानों में से हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ। तथापि,यह देखा गया कि दिल्ली सरकार ने तीसरे दिल्ली वित्तीय आयोग की सिफारिशों को स्वीकृत करते हुए और हर साल दिए जाने वाले शिक्षा अनुदान के अतिरिक्त तीन वर्षों की अवधि के लिए शुद्ध कर वसूलियों में से 0.07 प्रतिशत हिस्सा छावनी बोर्ड, दिल्ली को हस्तांतरण करना मान लिया है।

2.1.3.5 केंद्र सरकार के विभागों से सेवा करों की वसूली न होना

छावनी अधिनियम 2006 के खण्ड 109 छावनी बोर्डों को यह अधिकार देती है कि, वो छावनी में जहाँ केंद्र या राज्य सरकार की संपत्तियाँ स्थित हैं, को सामूहिक नगरपालिका सेवाएँ या विकास कार्य करने के लिए केंद्र या राज्य सरकार से वार्षिक सेवा भारों की वसूल करे । केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर इन सेवा भारों को छावनी बोर्डों द्वारा तैयार किया जाता है। महानिदेशक रक्षा सम्पदा के दस्तावेजों से यह पता चला किः

- 31 मार्च 2014 तक, 62 छावनी बोर्डों में स्थित रक्षा संपत्तियों के विषय में छावनी बोर्डों द्वारा पिछले वर्षों की माँग उठाने के कारण रक्षा मंत्रालय के पास ₹10521.39 करोड़ की राशि बकाया थी। इसमें से नमूना जाँच की गई 17 छावनी बोर्डों की बकाया ₹311.00 करोड़ की राशि शामिल थी।

- इसके अलावा, दो केंद्र सरकार के संगठनों के पास ₹40.83 करोड़ की राशि बकाया थी । छावनी बोर्ड रामगढ़, मेरठ तथा विलिंग्टन के विषय में भारतीय रेलवे के पास से 13.03 करोड़ की राशि तथा छावनी बोर्ड लखनऊ के विषय में

इंडियन इन्सटिट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च, लखनऊ के पास से ₹27.80 करोड़ की राशि।

इस संबंध में लेखापरीक्षा के सवाल पर, महानिदेशक रक्षा सम्पदा ने अगस्त 2015 तक कोई जबाव नहीं दिया। छावनी बोर्ड रामगढ़ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने (अप्रैल 2015) बताया कि, लगातार अनुस्मारकों को भेजने के बावजूद, रेलवे प्राधिकारियों की ओर से कोई जवाब नहीं आया। छावनी बोर्ड वेलिंग्टन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने (फरवरी 2015) कहा कि रेलवे प्राधिकारियों ने देय राशि को यह कहते हुए मना कर दिया कि रेलवे स्टेशन के अलावा अधिकांश इमारते जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थीं।

2.1.3.6 छावनी बोर्डों द्वारा राजस्व उत्पन्न में कमी

अधिनियम के खण्ड 66 (1) के अनुसार बोर्ड को अ) संपत्ति कर तथा ब) व्यापारों, व्यवसायों, कॉलिंग्स तथा रोजगार पर कर लगाने का अधिकार प्राप्त है। उसे पड़ोसी नगरपालिका द्वारा लगाए गए करों को भी लगाने का अधिकार प्राप्त है।

नमूना जाँच की गई 17 छावनी बोर्डोंके दस्तावेजों की संवीक्षा में यह प्रकट हुआ है कि, निम्नवत कारणों की वजह से छावनी बोर्ड करों तथा गैर-करों के जरिए राजस्व उत्पन्न करने में असमर्थ रहीं।

- हर पाँच वर्षों में संपत्ति कर का संशोधन न करना,
- संपत्ति कर का निर्धारित दरों से कम पर वसूल करना।
- वाहन प्रवेश कर न लगाना।

लेखापरीक्षा में देखे गए कुछ उदाहरण स्वरूप मामलों को नीचे दिया गया हैः

➢ **संशोधित कर दरों को अमल में न लाना**

अधिनियम के खण्ड 66 (2) के अनुसार, छावनी बोर्ड कोई भी कर लगा सकती है, जो उस समय लागू किसी कानून के तहत हो, जो राज्य की किसी भी नगरपालिका में लग सकता है जहाँ छावनी स्थित है, बशर्ते कि बोर्ड संपत्ति कर, व्यापारों, व्यवसायों, कॉलिंग्स् पर करों तथा रोजगार करों की दरों को प्रत्येक पाँच वर्षों में संशोधित करे।

- नमूना जाँच की गई छावनी बोर्डों के दस्तावेजों की संवीक्षा से यह पता चलता है कि, रानीखेत तथा डलहौजी छावनी बोर्डों को छोड़कर किसी भी अन्य नमूना जाँच की गई छावनी बोर्डों ने पिछले पाँच वर्षों में करों को संशोधित नहीं किया।

- छावनी बोर्ड देहरादून ने 1982 के बाद से छावनी बोर्ड लखनऊ ने 1953 के बाद से छावनी बोर्ड मेरठ ने 1941 के बाद से छावनी बोर्ड रामगढ़ ने 1947 के बाद से छावनी बोर्ड अहमदनगर ने 1990 के बाद से छावनी बोर्ड बैरकपुर ने 2001 के बाद से, छावनी बोर्ड क्लेंमट टाऊन ने 1990 के बाद से छावनी बोर्ड दानापुर ने 1998 के बाद से छावनी बोर्ड खास्योल ने 2009 के बाद से छावनी बोर्ड पछमढ़ी ने 2008 के बाद से छावनी बोर्ड शिलाँग ने 1945 के बाद से छावनी बोर्ड चक्राता ने 1971 के बाद से छावनी बोर्ड लॅण्सडाऊन ने 1989 के बाद से तथा छावनी बोर्ड जलपहार ने 1989 के बाद से संपत्ति कर संशोधित नहीं किए।

- यह भी देखा गया कि छावनी बोर्ड अहमदनगर ने (अक्तूबर 2013) आवासीय संपत्तियों के लिए 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 23 प्रतिशत करने के लिए समेकित संपत्ति कर (सी पी टी) की दरों को अनुमोदित किया, परंतु उसे (नवम्बर 2014) कार्यान्वित नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप पुरानी दरों पर लागू कर वसूली होती रही और ₹51.17 लाख की राजस्व हानि हुई ।

जवाब में छावनी बोर्ड अहमदनगर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने (नवम्बर 2014) कहा कि, कर संशोधन संबंधी प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय के अनुमोदन हेतु प्रधान निदेशक रक्षा सेवाएँ, दक्षिण कमान को भेजा गया है तथा उसे मंजूरी मिलते ही कार्यान्वित किया जाएगा।

- छावनी बोर्ड शिलाँग ने (जून 2010) व्यापार तथा व्यवसाय कर ₹50 की एकसमान दर को (व्यापार तथा व्यवसाय की विभिन्नताओं का ध्यान रखे बगैर) विभिन्न व्यापरों तथा व्यवसायों के लिए ₹250 तथा ₹2500 के बीच दरों में संशोधित करने का निश्चय किया। इस प्रस्ताव को (जुलाई 2010) प्रधान निदेशक रक्षा सेवाएँ, पूर्वी कमान को, भारत सरकार के विधि मंत्रालय द्वारा मंजूरी देने के लिए भेजा गया जिसे अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरुप पुरानी दरों पर कर वसूली की वजह से 2011-12 से 2013-14 की अवधि दौरान ₹17.60 लाख की राजस्व हानि हुई।

जवाब में छावनी बोर्ड शिलाँग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने (दिसम्बर 2014) बताया कि व्यापार तथा व्यवसाय कर के संशोधन का प्रस्ताव उच्च प्राधिकारियों को अनुमोदन हेतु भेजा गया है जो अभी प्रतीक्षित है।

सार यह है कि यद्यपि छावनी बोर्ड अधिनियम 2006 के खण्ड 66 (2) के अधीन करों के संशोधन के लिए अधिकृत है परन्तु जवाब यह निर्दिष्ट करते हैं, ऐसा नहीं किया गया तथा छावनी बोर्डों ने पुरानी दरों पर ही कर लगाना जारी रखा।

- ***संपत्तियों पर वार्षिक* दरीय मूल्य (ए आर वी) में अनुचित कटौती का परिणाम ₹4.10 करोड़ का राजस्व कम उत्पन्न**

छावनी अधिनियम 2006 के खण्ड 73 के अनुसार, संपत्ति की ए आर वी का निर्धारण छावनी बोर्ड द्वारा बिल्डिंग तथा जमीन या कुल वार्षिक किराए की कुल अनुमानित लागत के एक बीसवें भाग के रूप में किया जाता है। समेकित संपत्ति कर (सी पी टी) की उगाही इस तरह से निर्धारित ए आर वी के प्रतिशत के रूप में की जाती है। अधिनियम का खण्ड 73 (बी) अध्यक्ष छावनी बोर्ड (पी सी बी) को अपवादात्मक सारी स्थितियों में किए गए ऐसी किसी भी कम से कम एआरवी जो उसे उपयुक्त प्रतीत होती है, निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करती है ।

- छावनी बोर्ड अहमदनगर में लेखापरीक्षा ने देखा कि 2004-07 तथा 2007-10 के निर्धारण वर्षों के दौरान छावनी बोर्ड अध्यक्ष (पी सी बी) ने अपवादात्मक परिस्थितियों, जो ए आर वी में कटौती को उचित बनाती है, को विनिर्दिष्ट किए बगैर खण्ड73 के अनुसार सभी प्रकार की संपत्तियों की ए आर वी पर अत्यधिक कटौती कर दी। इसके फलस्वरूप सी पी टी की कम वसूली के कारण छावनी बोर्ड अहमदनगर को ₹3.72 करोड़ की राजस्व हानि उठानी पड़ी।

जवाब में, छावनी बोर्ड अहमदनगर के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने (नवम्बर 2014) बताया कि अधिनियम के खण्ड 76 के प्रावधानों के अनुसार, छावनी बोर्डने प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई आयोजित की तथा संपत्तियों के मालिकों से चर्चा करने के पश्चात् ए आर वी निश्चित की गई परंतु बैठक के कार्यवृत्त को तैयार नहीं किया गया।

उत्तर यह दर्शाता है कि छावनी बोर्ड अध्यक्ष द्वारा ए आर वी में कटौती को न्याय संगत बताने के लिए कोई रिकार्ड नहीं थे।

- छावनी बोर्ड वेलिंग्टन में, छावनी बोर्ड अध्यक्ष ने बिना कोई कारण बताए 2008-2011 के निर्धारण अवधि के लिए नए निर्माणों के 139 मामलों में ए आर वी में कटौती की। जैसा कि सी पी टी की गणनाए आर वी के प्रतिशत के रूप में किया जाता है, ए आर वी में कटौती के परिणामस्वरूप सी पी टी की कम वसूली के कारण ₹38.12 लाख की राजस्व हानि हुई ।

जवाब में छावनी बोर्ड वेलिंग्टन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने (फरवरी 2015) कहा कि, ए आर वी का प्रारभिंक निर्धारण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया गया। उसकी कटौती इसलिए की गई क्योंकि, अधिकांश निवासी निम्न मध्यम वर्ग से थे तथा बैंक से कर्ज लेकर स्वयं के निवास के लिए घरों का निर्माण किया था।

यह जवाब संगत नहीं था क्योंकि, स्वयं-अधिकृत घरों के निर्माण के लिए बैंक से कर्जा लेने से रिहाइशों को यह हक नहीं मिलता कि वें निम्न दरों पर करों की उगाही करें।

- छावनी बोर्ड दानापुर में, 1743 होल्डिंग्स् के संबंध में ए आर वी को छावनी अधिनियम 2006 के खण्ड-73 के प्रावधानों के अनुसार की गईए आर वी की गणना को 0.046 प्रतिशत तथा 19.88 प्रतिशत के बीच निर्धारित किया गया। हालाँकि, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सी पी टी की उगाही 30[12] प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक की गई। वसूल की गई सी पी टी की राशि बहुत कम थी, क्योंकि छावनी बोर्ड द्वारा निर्धारित ए आर वी ही बहुत कम थी। ए आर वी की असामान्य रूप से कम किए गए निर्धारण की परिणति पुनरीक्षण की अवधि के दौरान ₹8.44 करोड़ के हानि के रूप में हुई।

जवाब में, छावनी बोर्ड दानापुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अक्तूबर 2014 में बताया कि 2013-16 अवधि के लिए निर्धारण की तीन वर्षीय पुनरीक्षण प्रक्रिया जारी है तथा क्षेत्र के अनुसार तथा विशिष्ट इलाके में मकान के क्षेत्रफल के मूल्य के अनुसार ए आर वी को बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे थे।

- **छावनी बोर्ड रामगढ़ में निर्धारित दर से कम संपत्ति कर की वसूली के परिणामस्वरूप ₹29.16 लाख की राजस्व हानि के रूप में हुई**

छावनी अधिनियम 2006 के खण्ड 68 के अनुसार छावनी में जमीनों तथा इमारतों पर संपत्ति कर की वसूली की जाती है तथा जो जमीनों तथा इमारतों के वार्षिक कर योग्य मूल्य के 10 प्रतिशत से कम तथा 30 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होती है।

छावनी बोर्ड रामगढ़ के दस्तावेजों की संवीक्षा यह प्रकट करती है कि 10 प्रतिशत की न्यूनतम निर्धारित दर की बजाय 8.5 प्रतिशत की दर से सी पी टी की वसूली की जा रही थी। आगे यह देखा गया कि यद्यपि छावनी बोर्ड ने सितम्बर 2011 सम्पत्ति कर को बढ़ाने के लिए संपत्ति कर की दर ए आर वी के 7.5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तथा प्रकाश कर को ए आर वी की एक प्रतिशत से दो प्रतिशत तक बढ़ाकर कम से कम 10 प्रतिशत का प्रस्ताव रखा परंतु उसे कार्यान्वित नहीं किया गया और छावनी बोर्ड ने 2013-14 तक 8.5 प्रतिशत संशोधन पूर्व दर पर सी पी टी की वसूली को जारी रखा। इसका परिणाम 2009-10 से 2013-14 अवधि के दौरान ₹29.16 लाख की राजस्व हानि में हुआ।

[12] मकान कर- 12.5 प्रतिशत, सफाई कर- 4.5 प्रतिशत, जल कर- 10 प्रतिशत, लाइट कर- तीन प्रतिशत

- **छावनी क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर वाहन प्रवेश फीस कर (वी ई एफ/वी ई टी) की गैर-वसूली/गैर संशोधन।**

छावनी अधिनियम 2006 के खण्ड 67 (ई) में यह उल्लेख है कि बोर्ड छावनी क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर लाइसेन्स फीस लगाएगा।

नमूना जाँच किए गएछावनी बोर्डों के दस्तावेजों की संवीक्षा यह प्रकट करती है कि देहरादून, लखनऊ, मेरठ, अहमदनगर, बैरकपुर, खास्योल, पछमढ़ी, रानीखेत, चक्राता और डलहौजी छावनी बोर्डों द्वारा वी ई एफ/वी ई टी/टोल टैक्स की वसूली की गई। बाकी सात छावनी बोर्डों ने इस कर/फीस को वसूल नहींकिया।

हमने लेखापरीक्षा में देखा कि दानापुर, रामगढ़, अहमदनगर, तथा विलिंग्टन छावनी बोर्डों द्वारा छावनी क्षेत्रों में वाहन प्रवेश कर/लाइसेन्स फीस की गैर-वसूली तथा गैर-संशोधन के परिणाम स्वरूप ₹43.15 करोड़ की राजस्व हानि में हुई, जैसा की नीचे ब्यौरेवार दिया गया हैः

- छावनी बोर्ड दानापुर ने छावनी से गुजरने वाले वाहनों की औसत संख्या के निर्धारण के लिए जुलाई 2009 में वाहनों का फील्ड सर्वेक्षण किया था। इस डाटा को संभाव्य कुल फीस के अनुमान की प्राप्ति में प्रयुक्त किया गया, जिसे वाहन प्रवेश फीस लगाकर उसे इकट्ठा किया जा सके। तथापि, छावनी बोर्ड दानापुर द्वारा वी ई एफ की वसूली को कार्यान्वित नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप अगस्त 2009 से मार्च 2014 तक ₹37.53 करोड़ राजस्व की उगाही नहीं हो पाई।

छावनी बोर्ड दानापुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने स्वीकार (अक्तूबर 2014) किया कि वी ई एफ को लागू करने में विलम्ब हुआ तथा उसकी उगाही कार्यान्वित होने की प्रक्रिया में थी।

- छावनी बोर्ड रामगढ़ ने अक्तूबर 2007 में, अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए रामगढ़ छावनी बोर्ड की सीमा के अंतर्गत वाहनों के प्रवेश पर लायसेन्स फीस लागू करने का प्रस्ताव रखा। तथापि, छावनी बोर्ड ने छावनी सीमांत में वाहनों के प्रवेश पर वी ई एफ लागू (फरवरी 2015) नहीं किया।

जवाब में छावनी बोर्ड रामगढ़ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने फरवरी 2015 में बताया कि छावनी की सड़कें सभी वार्डों/मुहल्लों को राष्ट्रीय राजमार्ग से मात्र आंतरिक रूप से जोड़ने का काम करती है तथा छावनी सड़कों पर वी ई एफ लगाना किफायती नहीं होगा ।

यह जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि छावनी बोर्ड ने खुद ही अक्तूबर 2007 में छावनी सीमा के भीतर वाहनों के प्रवेश के लिए वी ई एफ का प्रस्ताव रखा था।

- फरवरी 2007 में छावनी बोर्ड अहमदनगर ने वाहन प्रवेश फीस लगाना तय किया और ₹3 करोड़ की मौजूदा न्यूनतम आरक्षित कीमत पर वाहन प्रवेश कर तथा ₹12 करोड़ की न्यूनतम आरक्षित कीमत पर वाहन लाइसेन्स फीस को इकट्टा करने के लिए टेंडरों को मँगवाया। छावनी बोर्ड अहमदनगर ने मार्च 2007 में प्रधान निदेशक रक्षा सेवाएँ, दक्षिण कमान पुणे को अप्रैल 2007 से वाहन प्रवेश कर की बजाय वी ई एफ को लागू करने के लिए मामले को भेजा। फरवरी 2009 में, छावनी बोर्ड अहमदनगर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने प्रधान निदेशक रक्षा सेवाएँ से सिफारिश की थी कि वी ई एफ के प्रारंभ होने तक वाहन प्रवेश कर (वी ई टी) को इकट्ठा करने के लिए मौजूदा करार को छावनी बोर्ड के राजस्व हानि से बचने के लिए जारी रखा जाए। तदनुसार छावनी बोर्ड अहमदनगर ने 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 की अवधि के लिए वी ई टी को इक्टठा करने के लिए एक ठेकेदार के साथ ₹3.56 करोड़ की राशि का करारनामा किया। करार में एक प्रावधान अनुबद्ध करता है कि, यदि वी ई टी करार की समाप्ति पूर्व खत्म नहीं होता, तो ठेकेदार 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की बढ़ोतरी के साथ ठेका करार जारी रखेगा। लेखापरीक्षा में देखा गया कि नही प्रधान निदेशक रक्षा सेवाएँ, दक्षिण कमान द्वारा वी ई एफ के लागू संबंधी करार शर्तों को क्रियान्वित किया गया न ही छावनी बोर्ड द्वारा करारनामा के उस प्रावधान को लागू किया गया जिसके द्वारा वी ई एफ करारनामें की राशि में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि होती थी इसका परिणाम, छावनी बोर्डको वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 के दौरान ₹3.98 करोड़ का राजस्व हानि की पीड़ा से गुजरना पड़ा।

जवाब में छावनी बोर्ड अहमदनगर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने नवम्बर 2014 में बताया कि, करारनामे की मुकदमेबाजी के कारण बोर्ड कोई निर्णय नहीं ले सका।

हालाँकि जून 2010 के बाद से मामला निम्न कोर्ट में मुकदमे के तहत था, छावनी बोर्ड अहमदनगर ने अब तक इस विवाद को सुलझाने के लिए यथोचित कदम नहीं उठाए ।

- छावनी बोर्ड विलिंग्टन ने आठ प्रवेश बिंन्दुओं पर जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो प्रवेश बिन्दु शामिल थे, छावनी सीमा क्षेत्रों में वाहनों के प्रवेशों (वी ई एफ) पर लाइसेन्स फीस की उगाही का प्रस्ताव (नवम्बर 2009) रखा। छावनी बोर्ड विलिंग्टन के मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी ने फरवरी/मार्च 2010 में 2010-11 के दौरान वी ई एफ को इक्ट्ठा करने के लिए टेंडरों को जारी किया तथा ₹41 लाख प्रति वर्ष की उच्चतर बोली को स्वीकार योग्य समझा गया। यद्यपि ठेका करार नहीं किया गया, परंतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिखित अनुदेशों पर ठेकेदार ने बोली राशि तथा सुरक्षा डिपॉजिट के 25 प्रतिशत के रूप में मार्च 2010 में ₹14.35 लाख जमा करवाए। इसी बीच छावनी बोर्ड ने दिसम्बर 2009

में भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन एच ए आई) ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाइसेन्स फीस की उगाही पर आपत्ति जताई। नीलगिरी जिला के कलेक्टर के अनुरोध पर छावनी बोर्ड विलिंग्टन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने ठेकेदार से राष्ट्रीय राजमार्ग बिन्दुओं पर वाहन प्रवेश शुल्क की वसूली बंद करने को तथा अन्य बिन्दुओं पर वसूली जारी रखने को कहा। अप्रैल 2010 से मार्च 2012 तक राष्ट्रीय राजमार्ग को छोड़कर अन्य प्रवेश बिन्दुओं पर ठेकेदार ने प्रवेश फीस इक्ट्ठा की। तथापि अप्रैल 2012 के बाद से वहाँ वाहन प्रवेश शुल्क को इकट्ठा नहीं किया गया। हमने देखा कि छावनी के भीतर अन्य छह बिन्दुओं पर वाहन प्रवेश शुल्क को इक्ट्ठा करने हेतु छावनी बोर्ड द्वारा बाद में कोई कार्रवाई नहीं की गई तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन प्रवेश शुल्क के लागू करने संबंधी मामला मंत्रालय के पास लंबित था, जिसके परिणामस्वरुप वर्ष 2010-11 से 2013-14 की अवधि के दौरान ₹1.64 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

जवाब में छावनी बोर्ड विलिंग्टन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने फरवरी 2015 में कहा कि हालाँकि वी ई एफ को लागू करने का मामला जून 2014 में छावनी बोर्ड के सामने रखा गया, परंतु छावनी बोर्ड द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया।

- **छावनी बोर्ड विलिंग्टन द्वारा छावनी स्टालों के आंबटन में विलम्ब**

छावनी बोर्ड विलिंग्टन में दस्तावेजों की संवीक्षा यह प्रकट करती है कि दुकानों के आंबटन में 18 से 30 महीनों के बीच देरी हुई जिसके परिणामस्वरूप भाड़े की गैर-वसूली के कारण ₹77.41 लाख राशि की राजस्व हानि हुई ।

जवाब में मार्च 2015 को छावनी बोर्ड विलिंग्टन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने विलम्ब को न्यायोचित ठहराए बिना घटनाओं के कालक्रम का विवरण प्रस्तुत किया।

2.1.3.7 राज्य राजमार्ग के रखरखाव पर ₹1.35 करोड राशि की निधि का अविवेकपूर्ण उपयोग

दिसम्बर 2005 में महानिदेशक रक्षा सम्पदा ने छावनी की सडकों, जिसमें एमईएस सडकें भी शामिल थीं तथा जिन पर आम जनता को आवाजाही का अधिकार है, के रखरखाव के लिए दिशानिर्देशों को परिचालित किया। चूँकि, दिशानिर्देशों में छावनी क्षेत्रों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों या राज्य पी डब्ल्यू डी सड़कों के रखरखाव का उल्लेख नहीं था, प्रधान निदेशक रक्षा सम्पदा (द.क.) पुणे ने दिसम्बर 2006 में, महानिदेशक रक्षा सम्पदा से निवेदन किया कि वो ऐसे दिशा निर्देश दे कि क्या छावनी बोर्ड उनके अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सडकों की मरम्मत कर सकता है?

छावनी बोर्ड अहमदनगर के दस्तावेजों की संवीक्षा यह प्रकट करती है कि स्टेशन कमांडर अहमदनगर ने मरम्मत तथा रखरखाव के उद्देश्य से 2.2 किलोमीटर की जामखेड

सड़क (जे के रोड), राष्ट्रीय राजमार्ग को एम ई एस से छावनी बोर्ड अहमदनगर को हस्तांतरित करने के लिए स्वीकृति (फरवरी 2007) दी। एम ई एस जो उक्त समय तक सड़कों का रखरखाव कर रही थी, ने भी इस प्रभाव हेतु एक प्रमाणपत्र (अप्रैल 2007) जारी किया कि, एम ई एस को छावनी बोर्ड अहमदनगर द्वारा अगले तीन वर्षों(अप्रैल 2010) तक जेके रोड की मरम्मत तथा रखरखाव करने पर कोई आपत्ति नहीं है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि यद्यपि राज्य राजमार्गों के रखरखाव के लिए दिशानिर्देश प्राप्त नहीं हुए थे । छावनी बोर्ड ने उस सड़क के रखरखाव पर ₹1.35 करोड़ का खर्च (2009-14) किया जिसमें 2010-11 से 2013-14 अवधि के लिए ₹93.93 का खर्च शामिल है, जो तीन वर्षों की उस अवधि से ऊपर था जिसके लिए एम ई एस द्वारा छावनी बोर्ड को सड़क हस्तांतरित की गई थी ।

छावनी बोर्ड अहमदनगर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अपने जवाब में कहा कि जे के रोड के रखरखाव पर ₹93.93 लाख का खर्च बोर्ड की स्वीकृति पर किया गया था ।

यह जवाब स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि छावनी बोर्डों द्वारा राज्य राजमार्ग के रखरखाव संबंधी कोई दिशानिर्देश महानिदेशक रक्षा सम्पदा से जारी नहीं किए गए। इसके अलावा, राजमार्ग के रखरखाव का छावनी बोर्ड का निर्णय विवेकपूर्ण नहीं था क्योंकि छावनी बोर्ड अपने क्रियाकलापों के लिए रक्षा मंत्रालय से प्राप्त सहायता अनुदानों पर निर्भर रहती है ।

2.1.3.8 छावनी विकास निधि लेखों का गैर -रखरखाव

अधिनियम के खण्ड 119 (i) यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक छावनी बोर्ड द्वारा एक ऐसे छावनी निधि का गठन किया जाएगा जिसमें छावनी बोर्ड द्वारा अथवा उसके पक्ष में प्राप्त धन तथा यदि कोई शेष छावनी निधि हो तो उसे शामिल किया जाएगा। अधिनियम के खण्ड 119 (ii) यह अनुबद्ध करता है कि सभी छावनी बोर्ड द्वारा एक अलग छावनी विकास निधि का संचालन किया जाएगा तथा ऐसी सभी धन-राशियाँ जो (i) किसी विशिष्ट परियोजना के कार्यान्वयन या किसी विशिष्ट परियोजना को लागू करने के लिए योगदान, अनुदानों, सहायताओं या किसी अन्य तरह से केंद्र सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त हो (ii) किसी व्यक्तिगत अथवा व्यक्तियों की संस्था द्वारा भेंट या डिपाजिटों के रुप में प्राप्त हो तथा (iii) विशिष्ट विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए निर्माण की गई या उधार ली गई, उस खाते में जमा की जाती है। आगे अधिनियम का खण्ड 120 यह निर्धारित करता है कि छावनी निधि तथा विकास निधि को अलग खातों में रखा जाएगा।

नमूना जाँच की गई छावनी बोर्डों के दस्तावेजों की संवीक्षा यह प्रकट करती है कि इस उद्देश्य के लिए छावनी बोर्ड अहमदनगर, विलिग्टंन, लखनऊ, रानीखेत,

लॅण्सडाऊन तथा पछमढ़ी ने अलग छावनी विकास निधि को सम्पादित किया वहीं रामगढ़ तथा देहरादून छावनी बोर्डों ने यह खाता नहीं बनाए रखा हालाँकि दोनों छावनी बोर्डों को क्रमशः वर्ष 2012-13,2013-14 तथा 2013-14 में विशेष सहायता अनुदान प्राप्त हुआ था। छावनी बोर्ड शिलाँग, क्लेमेंट टाऊन, दानापुर, चक्राता तथा डलहौजी ने खाता बनाया ही नहीं।

2.1.4 संपतियों का प्रबंधन

रक्षा मंत्रालय के पास 17 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। जिसमें से ऐसे 2 लाख एकड़ से ऊपर की जमीन अधिसूचित छावनियों में स्थित है। ये जमीनें विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार वर्गीकृत है और सशस्त्र बलों, केंद्रीय तथा राज्य सरकार संगठनों तथा नागिरक आबादी द्वारा अधिकृत है। रक्षा भूमि को ए 1, ए2, बी 1, बी 2, बी 3, बी 4 तथा सी के रूप में वर्गीकरण किया गया है। मात्र वर्ग सी भूमि का प्रबंधन छावनी बोर्डों के साथ बना है जिसमें पब्लिक प्रिमाइसेस इविक्शन (पी पी ई) एक्ट 1971 के द्वारा भूमि अधिग्रहण तथा जमीन से अतिक्रमण को निकालना शामिल है ।

2.1.4.1 भूमि रिकार्ड प्रबंधन

भूमि का सीमांकन, सत्यापन तथा आवधिक सर्वेक्षण, भूमि प्रंबधन के महत्वपूर्ण पहलू है। तदनुसार सभी रक्षा भूमियों के सर्वेक्षण, सीमांकन तथा सत्यापन के लिए महानिदेशक रक्षा सम्पदा के प्रस्ताव (फरवरी 2011) को सरकार ने स्वीकृत किया। छावनी के भीतर की जमीनों का सर्वेक्षण सीमांकन तथा सत्यापन की जिम्मेदारी छावनी बोर्डों की थी। आगे, छावनी बोर्डों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को मौजूदा दस्तावेजों अर्थात् जनरल लॅण्ड रजिस्टर प्लान (जी एल आर) तथा वास्तविक भौतिक सत्यापन सहित जी एल आर की प्रविष्टियों को सत्यापित करना तथा उसे प्रमाणित करने का निर्देश दिया गया ।

- नमूना जाँच की गई 17 छावनी बोर्डों ने सूचित किया कि स्थल सर्वेक्षण कार्य उन एजन्सियों द्वारा जिन्हें यह कार्य आउटसोर्स (मेसर्स वॅप्कोस लिमिटेड, आई आई टी, रूड़की, आई आई टी खड़कपुर, गौतम बुद्ध तकनीकी विश्वविधालय लखनऊ, मौलाना आजाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, भोपाल) किया गया था, के द्वारा पूरा किया गया, परंतु छावनी बोर्ड अहमदनगर, मेरठ, चक्राता, बैरकपुर, दानापुर, रामगढ़, शिलाँग, लखनऊ, पछमढ़ी, जलपहार, विलिंग्टन तथा रानीखेत के विषय में सर्वेक्षण रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप दिया जाना शेष था।

- छावनी बोर्ड खास्योल, देहरादून तथा क्लेमेंट टाऊन द्वारा भूमि दस्तावेजों का सर्वेक्षण नहीं किया गया क्योंकि छावनी बोर्ड खास्योल के पास कोई जमीन नहीं

थी तथा छावनी बोर्ड देहरादून तथा क्लेमेंट टाऊन के विषय में जी एल आर को रक्षा सम्पदा अधिकारी द्वारा बनाए रखा जाता है।

जवाब में अहमदनगर तथा बैरकपुर छावनी बोर्डों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने बताया (क्रमशः नवम्बर 2014, फरवरी 2015 में) कि अंतिम रूप दी जा रही रिपोर्ट के मसौदे की परिशोधन संबंधी कार्यवाही चल रही है। आगे छावनी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अहमदनगर ने यह पुष्टि की कि पिछले पाँच वर्षों से उनकी सीमाओं का वार्षिक सत्यापन नहीं किया जा सका है। अतः छावनी के भूमि दस्तावेजों का सत्यापन तथा प्रमाणीकरण अभी होना बाकी है, यह सत्य साबित होता है।

2.1.4.2 भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण में विलम्ब

राज्य रक्षा मंत्री के निर्देशों (अगस्त 2006) के अनुसार छावनी बोर्डों तथा रक्षा सम्पदा अधिकारियों को (मार्च 2007) भूमि दस्तावेजों के कम्प्यूटरीकरण को पूरा करने को अनुदेशित किया गया था। महानिदेशक रक्षा सम्पदा ने रक्षा सम्पदाओं के प्रधान निदेशकों को सूचित (सितम्बर 2006) किया था कि रक्षा भूमि दस्तावेजों के कम्प्यूटरीकरण के लिए रक्षा भूमि नाम का एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया था।

नमूना जाँच की गई छावनी बोर्ड ने बताया कि, सभी छावनी बोर्डों में रक्षा भूमि सॉफ्टवेयर क्रियान्वित किया जा चुका था तथापि अहमदनगर तथा विलिंग्टन छावनी बोर्डों में नमूना जाँच यह प्रकट करती है कि, दोनों छावनी बोर्डों द्वारा बताई गई विशिष्ट गलतियों को अभी भी संशोधित किया जाना बाकी था।

इस प्रकार भूमि दस्तावेजों का कम्प्यूटरीकरण जिसे मार्च 2007 तक पूरा किया जाना था, वह इन दो छावनी बोर्डों द्वारा अभी भी पूरा किया जाना शेष था।

2.1.4.3 छावनी बोर्डों के अधीन वर्ग "सी" भूमि का अतिक्रमण

प्रत्येक छावनी बोर्ड उनके निहित भूमि पर अतिक्रमणों को पहचानने तथा उन्हें हटाने के लिए जिम्मेदार है तथा इसे हटाने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए।

नमूना जाँच की गई छावनी बोर्डों में दस्तावेजों की संवीक्षा यह प्रकट करती है कि प्राईवेट पार्टियों द्वारा छावनी बोर्ड अहमदनगर, विलिंग्टन (पाँच मामलें), मेरठ, चक्राता, पछमढ़ी तथा बैरकपुर के नियंत्रणाधिन वर्ग "सी" भूमि के अतिक्रमण के 3184 मामले पाए गए। यह भी देखा गया था कि छावनी बोर्ड खास्योल के पास कोई भूमि नहीं थी तथा छावनी बोर्ड की संपत्ति का निर्माण ए-1 रक्षा भूमि पर किया गया था।

- छावनी बोर्ड मेरठ में, 13.3799 एकड़ के आवरित भूमि क्षेत्र में अतिक्रमण के कुल 2320 मामलें (पाँच वर्षों से कम के 39 मामले, पाँच वर्षों से ऊपर के 87

मामले, 10 वर्षों से अधिक के 404 मामले तथा 20 वर्षों से अधिक के 1790 मामले) थे जिनमें से, 32 मामले निर्णयाधीन थे। बकाया मामलों में छावनी बोर्ड द्वारा कोई दण्ड लगाया नहीं गया था।

- छावनी बोर्ड पछमढ़ी में, पिछले 13-14 वर्षों से ज्यादा समय से 11.40 एकड़ के आवरित भूमि क्षेत्र में अतिक्रमण के 525 मामलों को पाया गया। यद्यपि अतिक्रमणों को निकालने के लिए पी पी ई एक्ट के अधीन नोटिसों को जारी किया गया था, फिर भी कोई ठोस परिणाम नहीं मिल पाया ।

- छावनी बोर्ड अहमदनगर में, 3655.18 वर्ग किलोमीटर रक्षा भूमि पर 1992 और उसके बाद की अवधि से 205 निवासियों (पाँच वर्षों से कम के नौ मामले, पाँच वर्षों से अधिक के 14 मामले, 10 वर्षों से अधिक के 168 मामले तथा 20 वर्षों से अधिक के 14 मामले) द्वारा अतिक्रमण किया गया था जिसमें,155 निवासियों की गंदी बस्ती का क्षेत्र भी शामिल है। यह भी देखा गया कि, अतिक्रमणों करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय गंदी बस्ती क्षेत्र में आवश्यक नगरीय सुविधाओं को प्रदान करने का प्रस्ताव पारित किया गया था ।

जवाब में, छावनी बोर्ड अहमदनगर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि अतिक्रमण करने वालों को 30 दिन के भीतर अतिक्रमणों को हटाने के लिए नोटिसों को जारी किया गया। तथापि,19 मामलों में अतिक्रमण करने वालों ने कोर्ट से स्टेआर्डरों को प्राप्त करवा लिया था। 31 मामलों में हटाने की कार्रवाई लंबित थी और शेष 155 मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण हटाने की कार्रवाई लंबित थी ।

- छावनी बोर्ड चक्राता में यह देखा गया कि छावनी बोर्ड अतिक्रमणों के संबंध में प्रधान निदेशक रक्षा सेवाएँ लखनऊ को शून्य रिपोर्ट भेज रहा था जबकि अतिक्रमणों को हटाने के लिए छावनी बोर्ड द्वारा 89 नोटिस को जारी किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा माँगी गई इस विसंगति के कारण अभी भी प्राप्त नहीं हुए हैं।

- छावनी बोर्ड बैरकपुर में 0.2326 एकड़ के आवरित भूमि क्षेत्र में अतिक्रमण के 40 मामले (पाँच वर्ष से कम के तीन मामले, पाँच वर्षों से अधिक के चार मामले, 10 वर्षों से अधिक के 17 मामले तथा 20 वर्षों से अधिक के 16 मामले) पाए गए ।

जवाब में छावनी बोर्ड बैरकपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि पी पी ई एक्ट 1971 के अधीन अतिक्रमण करने वालों को नोटिस भिजवाई गई थी।

2.1.4.4 अनधिकृत निर्माण

अधिनियम के खण्ड 248 के अनुसार, बोर्ड (छावनी बोर्ड) किसी भी समय, लिखित नोटिस द्वारा छावनी में किसी भी भूमि के मालिक, पट्टेदार या रहने वाले को इमारत के निर्माण या पुनर्निमाण को रोकने के निर्देश तथा इमारत को या उसके या किसी भाग को परिवर्तित करने या नष्ट करने के निर्देश दे सकता है।

नमूना जाँच की गई छावनी बोर्डों में दस्तावेजों की संवीक्षा यह प्रकट करती है कि मेरठ, लखनऊ, पछमढ़ी, बैरकपुर, अहमदनगर, विलिंग्टन तथा चक्राता छावनी बोर्डों में अनधिकृत निर्माणों के 9557 मामले पाए गए।

- छावनी बोर्ड मेरठ में, अनधिकृत निर्माणों के 7822 मामलों में से पाँच वर्षों से कम के 1018 मामले थे, पाँच वर्षों से अधिक के 851 मामले, 10 वर्षों से अधिक के 915 मामले तथा 20 वर्षों से अधिक के 5038 मामले बकाया थे ।

जवाब में छावनी बोर्ड मेरठ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने यह बताया गया कि अधिकांश मामले निर्णयाधीन थे तथा पिछले दो वर्षों के दौरान अनधिकृत निर्माणों के कोई नए मामले नहीं पाए गए ।

- छावनी बोर्ड लखनऊ में अनधिकृत निर्माणों के कुल 739 मामले 20 वर्षों से अधिक समय से लंबित थे। तथापि, छावनी बोर्ड ने इन मामलों की स्थिति पर कोई जवाब नहीं दिया ।
- छावनी बोर्ड बैरकपुर में 1983 तथा 2014 के बीच फैले हुए अनधिकृत निर्माणों के 454 मामले देखे गए।

जवाब में छावनी बोर्ड बैरकपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने यह कहा गया कि छावनी अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की गई थी।

- छावनी बोर्ड अहमदनगर में अनधिकृत निर्माणों के कुल 259 मामलों में से पाँच वर्षों से कम के 48 मामले, पाँच वर्षों से अधिक के 26 मामले, 10 वर्षों से अधिक के 85 मामले तथा 20 वर्षों से अधिक के 100 मामले लंबित थे। इन मामलों में से छह मामलों ने नियमितीकरण के लिए आवेदन किया है, 84 मामले निर्णयाधीन थे तथा शेष 169 मामलों में नोटिस जारी की गई है ।
- छावनी बोर्ड पछमढ़ी में अनधिकृत निर्माणों के कुल 174 मामले लंबित थे जिसमें 16 मामले कोर्ट में लंबित थे तथा 158 मामलों में अनधिकृत निमार्णों के नियमितीकरण के लिए संबंधित व्यक्तियों ने आवेदन किया है।
- छावनी बोर्ड वेलिंग्टन में, अनधिकृत निर्माणों के कुल 85 मामलों में से सात मामले पाँच वर्षों से कम समय के, पाँच वर्षों से अधिक समय के 49 मामले, दस वर्षों से अधिक समय के लिए 28 मामले तथा 20 वर्षों से अधिक समय

का एक मामला लंबित था। इन मामलों में से, 41 मामलों ने नियमितीकरण के लिए आवेदन किया था तथा शेष 44 मामलों में नोटिस जारी किए गए थे ।

- छावनी बोर्ड चक्राता में अनधिकृत निर्माणों के कुल 24 मामले 20 वर्षों से अधिक समय से लंबित तथा निर्णयाधीन थे । छावनी बोर्ड चक्राता के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने यह भी पुष्टि की थी कि अनधिकृत निर्माणों के विषय में वहाँ कोई कोर्ट मामले नहीं थे ।

2.1.4.5 वर्ग सी भूमि के पुर्नवर्गीकरण के अनुमोदन बगैर बी 4 भूमि पर ₹32.40 लाख की लागत से छावनी बोर्ड अहमदनगर द्वारा दुकानों का निर्माण

छावनी भूमि प्रशासन नियमावली (सी एल आर) 1937 के नियम 7 के अनुसार, सरकार या छावनी बोर्ड के साथ निहित भूमि के वर्गीकरण में परिवर्तन केंद्र सरकार या उसके द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी जिन्हें इस संबंध में अधिकार प्राप्त है, के अलावा और किसी के द्वारा नहीं किया जाएगा ।

इन नियमावलियों का नियम 43 (ii) यह निर्दिष्ट करता है कि, छावनी बोर्ड को सौंपी गई भूमि का प्रबंधन इस शर्त पर किया जाएगा कि, बोर्ड को इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए या उनके खुद के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार की स्वीकृति बगैर भूमि को अपने कब्जे में या उसका उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा, परंतु सी एल ए आर के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा उक्त भूमि जो उपरोक्त उद्देश्य के लिए और जो छावनी बोर्ड के साथ निहित है, वर्ग सी में हस्तांतरित किया जा सकता है ।

हमने देखा कि प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अहमदनगर छावनी बोर्ड ने सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के तहत भूमि को वर्ग सी में पुनः वर्गीकृत किए बगैर स्वयं वित्तीय आधार पर वर्ग बी - 4 भूमि पर सितम्बर तथा दिसम्बर 2002 में 34 दुकानों का निर्माण किया । इन दुकानों की लागत ₹32.40 लाख थी जिसे आंबटियों द्वारा वसूला गया ।

तदनन्तर इन दुकानों के निर्माण के 11 वर्षों से अधिक समय के अंतराल के बाद छावनी बोर्ड ने उक्त भूमि को वर्ग बी - 4 से वर्ग 'सी' में पुनः वर्गीकरण के लिए फरवरी 2014 में उच्च प्राधिकारी को प्रस्ताव भेजने का निश्चित किया था। तथापि, हमने यह देखा कि नवम्बर 2014 तक, मामला उच्च प्राधिकारी को नहीं भेजा गया।

निष्कर्ष

छावनी बोर्ड, जिन्हें नगर पालिका का दर्जा प्राप्त हुआ है वे छावनियों में रहने वाले कर्मिकों को नागरी सुविधाएँ प्रदान करती हैं। छावनी बोर्ड ने किसी भी टाऊन प्लानिंग स्कीमों तथा आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं, प्लानों को

प्रारंभ नहीं किया गया था। हालाँकि, छावनी बोर्ड अधिनियम 2006 के तहत प्रत्येक छावनी बोर्ड द्वारा 24 प्रकार की सेवाओं को प्रदान किया जाना जरूरी था, फिर भी नमूना जाँच की गई किसी भी छावनी बोर्ड ने सभी अनिवार्य सेवाएँ प्रदान नहीं की यहाँ तक कि केंद्रीय सरकार की वे योजनाएँ जो पास में स्थित नगरपालिकाओं में जारी थीं तथा छावनी बोर्डों में भी लागू होने योग्य थीं, उन्हें भी कार्यान्वित नहीं किया गया। पुनः आबादी के आधार पर चिकित्सा तथा शिक्षा सुविधाओं के मानदण्डों कि अनुपस्थिति के कारण, विभिन्न छावनियों में प्रदान किए गए अस्पतालों तथा विद्यालयों के प्रकारों और संख्याओं में विसंगति थी। छावनी बोर्डों द्वारा तैयार किए गए अनुमानित बजट अवास्तविक थे तथा निधि की उपलब्धता के बावजूद, सेवाओं को प्रदान करने हेतु निधियों का उपयोग करने में छावनी बोर्ड असफल रहीं। छावनी बोर्ड राजस्व उत्पत्ति की वृद्धि में असमर्थ थी हालाँकि छावनी बोर्ड ऐसा करने में सक्षम थीं, परंतु संपत्ति करों में प्रत्येक पांच वर्षों में गैर संशोधन, निर्धारित दरों से कम संपत्ति करों की वसूली, तथा वाहन प्रवेश शुल्कों की गैर-वसूली के कारण राजस्व की हानि हुई और वे रक्षा मंत्रालय द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों पर अधिकाधिक निर्भर होती गईं। अतिक्रमण तथा अनधिकृत निर्माणों के मामलों में वृद्धि, छावनी बोर्डों द्वारा सरकारी संपत्ति के रक्षा हेतु प्रभावी कार्यवाई में कमी की ओर इंगित करती है।

2.2 विशेषीकृत पैराशूटों की अनुपलब्धता

भारतीय सेना के पैराशूट विशेष बलों बटैलियनों के पास एक दशक से अधिक समय से पैराशूट नहीं थे। 2006 में डी आर डी ओ द्वारा जो पैराशूट विकसित किये गये थे को सफलतापूर्वक उत्पादित नहीं किया जा सका। इसके विकास और उत्पादन पर ₹10.75 करोड़ का किया गया व्यय निष्फल हो गया था।

पैराशूट (पैरा) विशेष बल (एस एफ) कार्मिकों को कॉमबट फ्री फॉल (सी एफ एफ) पैराशूट प्राधिकृत हैं, जो अति विशिष्ट परिचालनों के दौरान अपेक्षित हैं तथा मिशन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। 10 वर्षों के शेल्फ लाईफ से युक्त इन सी एफ एफ पैराशूटों की अधिप्राप्ति 1986 में आयात द्वारा की गई थी और परिचालन योग्य स्थिति में न होने के कारण 2002 में सेवा से बाहर किए गए थे।

2001 में, 1,031 सी एफ एफ पैराशूटों की कुल प्राधिकृत मात्रा के प्रति सेना ने अपरिहार्य परिचालन आवश्यकता पूरी करने हेतु विदेशी सैन्य बिक्री (एफ एम एस)[13]

[13] विदेशी सैन्य बिक्री (एफ एम एस) अमेरिकी रक्षा विभाग का एक कार्यक्रम है, जो विदेशी सरकारों को अमेरिकी हथियारों, रक्षा उपस्करों, रक्षा सेवाओं तथा सैन्य प्रशिक्षण की बिक्री को सुगम बनाता है।

मार्ग से फास्ट ट्रैक प्रक्रिया (एफ टी पी)[14] के अंतर्गत 410 पैराशूटों की अधिप्राप्ति के लिए रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी) को प्रस्ताव भेजा। 621 पैराशूटों की शेष मात्रा के लिए, ए डी आर डी ई[15] (डी आर डी ओ) द्वारा मार्च 2003 में स्वदेशी सी एफ एफ पैराशूट के विकास के लिए एक परियोजना शुरू की गई थी। तथापि, एफ एम एस मार्ग से पैराशूटों की अधिप्राप्ति का मामला एम ओ डी द्वारा 2006 में यह सुझाव देते हुए बंद कर दिया कि इन पैराशूटों को स्वदेशी स्रोतों से अधिप्राप्त किया जाए। डी आर डी ओ द्वारा विकसित सी एफ एफ पैराशूटों के परीक्षण मार्च और नवंबर 2006 के बीच पूरे किए गए तथा सफल पाए गए। उसके सफल विकास के आधार पर पैराशूटों के विनिर्माण हेतु आयुध पैराशूट निर्माणी (ओ पी एफ), कानपुर को टी ओ टी प्रदान किया गया। एम ओ डी ने 700 सी एफ एफ पैराशूटों के लिए ₹55.35 करोड़ की कुल लागत पर ओ पी एफ, कानपुर को अक्तूबर 2008 में आपूर्ति आदेश (एस ओ) दिया। आपूर्ति आदेश के अनुसार, आपूर्ति आदेश दिए जाने के छह से आठ महीने के अंदर वैधीकरण परीक्षणों के लिए ओ पी एफ, कानपुर द्वारा 40 पैराशूटों का पायलट नमूना सुपुर्द किया जाना था, जो नमूने की प्राप्ति के पांच महीने के अंदर पूरा किया जाना था। नमूना पैराशूटों के सफल वैधीकरण के पश्चात् ओ पी एफ, कानपुर को थोक उत्पादन अनुमति (बी पी सी) प्रदान की जानी थी, बी पी सी देने के 2 महीने के अंदर, न्यूनतम 50 पैराशूट प्रतिमाह की दर से शेष 660 पैराशूटों की आपूर्ति प्रारंभ की जानी थी।

हमने देखा कि सेना को अप्रैल 2010 में 40 पैराशूटों के पायलट नमूने सुपुर्द किए गए तथा मई 2010 और नवंबर 2010 के बीच परीक्षण किए गए। परीक्षण दल ने अनेक कमियां[16] पायीं, जो प्राणों को संकट में डालने वाली थी। इसके होते हुए भी जुलाई 2011 में बी पी सी इस शर्त पर प्रदान की गई कि थोक आपूर्ति से पहले गुणवत्ता नियंत्रण की पुष्टि करने के लिए प्रत्येक 25 पैराशूटों के दो पारेषणों की प्रारंभिक सेटों की नमूना जांच की जाएगी। ओ पी एफ, द्वारा प्रथम 25 सी एफ एफ पैराशूट अगस्त 2014 में प्रदान किए गए, जिनमें से केवल सात पैराशूट वैधीकरण परीक्षणों में (अक्तूबर 2014) सफल हुए। वैधीकरण परीक्षणों के लिए परीक्षणों के दूसरे सेट की सुपुर्दगी के संबंध में ओ पी एफ, कानपुर ने बताया (नवंबर 2014) कि कपड़े की सीमित उपलब्धता/अनुपलब्धता के कारण सुपुर्दगी विलंबित हो जाएगी और

[14] एफ टी पी एक ऐसी कार्यविधि है जिसमें आसन्न के रूप में पहले ही से ज्ञात अथवा एक ऐसी स्थिति, जिसमें पूर्व चेतावनी के बिना कोई संकट उभरकर आता है, के लिए तुरंत परिचालन आवश्यकताओं की शीघ्र अधिप्राप्ति को सुनिश्चित किया जाता है।

[15] ए डी आर डी ई- हवाई परिदान अनुसंधान एवं विकास संस्थापन, आगरा, एक डी आर डी ओ प्रयोगशाला।

[16] सामग्री की निम्नस्तरीय गुणवत्ता, वेस्ट बैल्ट और बैल्ट में टाइटनिंग स्टैप स्लिपिंग की सूती धागा अनुपात के अधिक समावेशन की आवश्यकता, विषम सिलाई, फटने वाली कनक्टर्स तथा खराब गुणवत्ता के रबड़ बैंड।

ये पैराशूट अब तक सुपुर्द किए जाने है (जून 2015)। पायलट परेषणों के वैधीकरण परीक्षणों में 25 पैराशूटों में से 18 पैराशूटों की विफलता (75 प्रतिशत), ₹2.28 करोड़ की लागत पर डी आर डी ओ द्वारा सी एफ एफ पैराशूट के विकास के पश्चात् मार्च 2006 और नवंबर 2006 के बीच किए गए प्रारंभिक प्रयोक्ता परीक्षणों पर प्रश्न उठाती है। ओ पी एफ, कानपुर ने, तथापि, पैराशूटों के विनिर्माण के लिए ₹7.97 करोड़ खर्च किए, जो वैधीकरण परीक्षणों में विफल हुए और प्रयोक्ता द्वारा स्वीकार नहीं किए गए।

इसी बीच जनवरी 2008 में, भारतीय वायुसेना ने एफ एम एस मार्ग के अंतर्गत, सी 130 जे 30 वायुयानों की अधिप्राप्ति के लिए एक संविदा की। जिसमें 600 सी एफ एफ पैराशूटों की खरीद भी शामिल थी। इस अधिप्राप्ति से, जनवरी 2013 में 400 पैराशूट सेना को दिए गए।

यह मामला प्रकट करता है कि 2001 से सैनिकों के लिए सी एफ एफ पैराशूटों की तुरंत आवश्यकता के बावजूद मंत्रालय ने दिसंबर 2012 तक न तो एफ एम एस मार्ग से, और न ही स्वेदशी स्रोतों से उनकी अधिप्राप्ति की। इसके परिणामस्वरूप एक दशक से अधिक समय से सेना के पास तत्काल परिचालन आवश्यकता के लिए पैराशूटों की अनुपलब्धता रही। ए डी आर डी ई और ओ पी एफ कानपुर ₹10.75 करोड़ व्यय करने के पश्चात 12 वर्षों में सी एफ एफ पैराशूटों का उत्पादन नहीं कर सके, जिसके परिणामस्वरूप सेना को 631 पैराशूटों की कमी (61 प्रतिशत) हुई।

यह मामला मार्च 2015 में मंत्रालय को भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2015)।

2.3 लामबंदी अग्रिम पर ब्याज की अल्प वसूली ।

ठेकेदारों को भुगतान किए जाने वाले लामबंदी अग्रिम में वसूली के लिए दो ब्याज की दरें होती हैं। परन्तु, वह आदेश जिससे अग्रिम की वसूली की जानी थी, विनिर्देशित नहीं की गई। पहली बार में, पहले दस प्रतिशत की वसूली नही हो पाने के कारण, महानिदेशक, विवाहित आवास परियोजनाओं, से संबंधित दस ठेकों में ₹1.06 करोड़ ब्याज की कम वसूली की गई। इसके अतिरिक्त, यद्यपि लामबंदी अग्रिम का उपयोग पाँच महीनों के भीतर होना था, अन्यथा ठेकेदारों द्वारा दिए गए बैंक प्रत्याभूति को भूनाना या महानिदेशक, विवाहित आवास परियोजना से संबंधित ठेकों में समयावधि के भीतर अग्रिम भुगतान का उपयोग नहीं होने के बावजूद बैंक प्रत्याभूति को नही भुनाया गया।

महानिदेशक, विवाहित आवास परियोजनाए विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए ठेकेदारों के साथ ठेका किया करते हैं। ठेके की विशेष शर्तो के खण्ड 26.1 एवं

27.1 के अनुसार ठेका राशि के 15 प्रतिशत तक लामबंदी अग्रिम ठेकेदार को अगर वह चाहे तो, एक लिखित प्रार्थना पत्र एवं वसूली न होने वाले बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत करने पर दिया जा सकता है। ठेका राशि के दस प्रतिशत लामबंदी अग्रिम के लिए आठ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज एवं बकाया पाँच प्रतिशत लामबंदी अग्रिम के लिए दस प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण ब्याज लगेगा। खण्ड 26.2 एवं 27.2 के अनुसार ठेकेदार को लामबंदी अग्रिम एक किश्त में एवं राशि के अनुरुप बैंक प्रत्याभूति की स्वीकृति के 30 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित बातें पाई गई:-

I ठेके में ब्याज के वसूली के क्रम को उल्लेखित न करना

यथोपरि ठेका राशि के दस प्रतिशत तक लामबंदी अग्रिम पर 8 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज होता है एवं बकाया 5 प्रतिशत पर दस प्रतिशत ब्याज प्रतिवर्ष होता है। परन्तु, ठेके में ब्याज की वसूली के क्रम को विनिर्देशित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा के अनुसार चूँकि शर्तो के अनुसार पहले ठेका राशि के दस प्रतिशत पर ब्याज की दरें पहले है, इसलिए इनकी वसूली पहले होनी चाहिए एवं लामबंदी अग्रिम की बकाया राशि पर ब्याज की वसूली बाद में की जानी चाहिए। ठेका दरों के दस प्रतिशत की वसूली पहले नहीं की जाने के कारण से महानिदेशक, विवाहित आवास परियोजना से संबंधित दस ठेकों, जिनकी समीक्षा लेखापरीक्षा में की गई, में ₹1.06 करोड़ के ब्याज की कम वसूली हुई, जो नीचे **तालिका - 11** में विस्तार दे दिया गया है।

तालिका - 11

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	ठेका संदर्भ	ठेकेदार	ठेका राशि	भुगतान की गई लामबंदी अग्रिम	वसूली किया जाने वाला ब्याज	वसूल किया गया ब्याज	अन्तर
1.	डी जी एम ए पी/ फेज-II/ पी के जी 24/21-2010-11	मेसर्स ओमाक्सी इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं कन्स्ट्रकशन लिमिटेड, नई दिल्ली	99.41	14.91	1.54	1.95	0.09
2.	डी जी एम ए पी/ फेज-II/ पी के जी 24/21-2010-11	मेसर्स ओमाक्सी इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं कन्स्ट्रकशन लिमिटेड, नई दिल्ली	36.45	5.47	0.60	0.56	0.04
3	डी जी एम ए पी/ फेज-II/पी के जी 23/ए/15/2010-11	मेसर्स डी एस सी लिमिटेड गुड़गाँव	94.82	14.22	1.41	1.20	0.21

क्रम संख्या	ठेका संदर्भ	ठेकेदार	ठेका राशि	भुगतान की गई लामबंदी अग्रिम	वसूली किया जाने वाला ब्याज	वसूल किया गया ब्याज	अन्तर
4	डी जी एम ए पी/ फेज-II/ पी के जी 23/ए/15/ 2010-11	मेसर्स डी एस सी लिमिटेड गुड़गाँव	14.08	2.11	0.15	0.13	0.02
5	डी जी एम ए पी/ फेज-II/ पी के जी 22/जे ओ डी एच(ए)/18-2010-11	मेसर्स इंदु प्रोजेक्ट्स लिमिटेड हैदराबाद	121.94	18.29	1.66	1.51	0.15
6	डी जी एम ए पी/ फेज-II/ पी के जी 37/17-2010-11	मेसर्स जी वी आर इन्फ्रा प्रोजेक्टस लिमिटेड, चेन्नई	47.62	7.14	0.70	0.66	0.04
7	डी जी एम ए पी/ फेज-II/ पी के जी 37/17-2010-11	मेसर्स जी वी आर इन्फ्रा प्रोजेक्टस लिमिटेड, चेन्नई	14.45	2.17	0.21	0.20	0.01
8	डी जी एम ए पी/ फेज-II/ पी के जी 37/17-2010-11	मेसर्स जी वी आर इन्फ्रा प्रोजेक्टस लिमिटेड, चेन्नई	28.52	4.28	0.41	0.39	0.02
9	डी जी एम ए पी/ फेज-II/ पी के जी -21/01/02 (2010-11)	मेसर्स एपेक्स एकोन प्रोजक्टस नई दिल्ली	127.51	19.13	2.01	1.83	0.18
10	डी जी एम ए पी/ फेज-II/ पी के जी 36 एन ऐ वी वाय/16 (2009-10	मेसर्स नागार्जुना कन्स्ट्रक्शन कंपनी, हैदराबाद	301.26	45.19	3.80	3.50	0.30
					12.49	11.43	1.06

रक्षा लेखा नियंत्रक (सी डी ए), सिकन्दराबाद एवं प्रधान सी डी ए, पुणे ने उत्तर दिया (अगस्त 2013/नवम्बर 2013) कि कौन सी राशि पहले वसूली की जानी है यह उल्लेखित नही था।

यह उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि शर्ते यह विनिर्देश करती है ठेका राशि के दस प्रतिशत पर आठ प्रतिशत की दर एवं बकाया राशि का दस प्रतिशत अर्थात् जिस राशि पर आठ प्रतिशत का ब्याज लागू था उसे पहले वसूलना चाहिए।

II ठेके में विनिर्देशित समयावधि के भीतर लामबंदी अग्रिम का उपयोग करने में असफलता के कारण बैंक गांरटी का नकदीकरण नहीं होना।

ठेके के विशेष शर्तो के खण्ड 27.8 के अनुसार, लामबंदी अग्रिम भुगतान के पाँच महीनों के भीतर उपयोग कर लेना चाहिए एवं ऐसा न करने पर, महानिदेशक

लामबंदी अग्रिम के लिए दिए गए बैंक गांरटी का नकदीकरण कर सकते हैं। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित चार ठेकों में **(तालिका-12)** यह देखा कि लामबंदी अग्रिम का उपयोग विनिर्देशित पाँच महीनों के अंतराल में नहीं किया गया-

तालिका -12

क्रम संख्या	**ठेका संदर्भ**	**ठेका राशि**	**अग्रिम**	**भुगतान दिनांक**	**लामबंदी अग्रिम के भुगतान के पाँच महीनों के बाद का निर्माण कार्य**
1	डी जी एम ए पी/फेज-II/ पी के जी 24/21 (2010-11)	99.41	14.91	02 मई 11	3.96
2	डी जी एम ए पी/फेज-II/ पी के जी 24/21 (2010-11)	36.45	5.47	19 अप्रैल 11	1.01
3	डी जी एम ए पी/फेज-II/ पी के जी 23/ए/15 (2010-11)	94.82	14.22	22 मार्च 11	7.94
4	डी जी एम ए पी/फेज-II/ पी के जी 23/ए/15 (2010-11)	14.08	2.11	22 मार्च 11	0.52

परन्तु, बैंक गांरटी का नकदीकरण नहीं किया गया जबकि विनिर्देशित अवधि के भीतर अग्रिम राशि का उपयोग नहीं किया गया। बैंक गांरटी का नकदीकरण न करने के परिणामस्वरूप ठेकेदारों के पास पैसा पड़ा रहा जिससे उनको अनुचित लाभ हुआ।

पी सी डी ए, पुणे ने कहा (नवम्बर 2013), कि चूँकि ठेकेदारों ने उनके कार्यालय में अग्रिम के उपयोग दर्शाने वाले बैंक खाता को प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए अग्रिम की उचित उपयोग को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी परियोजना प्रबंधक/डी जी, एम ए पी की थी।

यह उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि पी सी डी ए, पुणे को यह सुनिश्चित करना था कि अग्रिम भुगतान के विवरण बैंक खातों की विस्तृत विवरण हरेक आर ए आर के साथ संलग्न हो एवं सरकारी पैसों पर ब्याज को सुरक्षित रहे। वास्तविकता यह है कि अग्रिम राशि के उपयोग न होने के बावजूद बैंक गांरटी के नकदीकरण न करने के परिणामस्वरूप पूंजी ठेकेदारों के पास रह गई जिससे ठेकेदारों को अनुचित लाभ हुआ।

मामला मंत्रालय को जून 2015 में भेजा गया, उनका उत्तर (सितम्बर 2015) तक प्रतीक्षित था।